

GSP-PSV/1A/11.00

**The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.**

- - -

PAPERS LAID ON TABLE

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the year 2016-17.
- (b) Annual Accounts of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the year 2016-17, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Society.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

SHRI RADHAKRISHNAN P.: Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 25 of the Coinage Act, 2011:—

- (1) G.S.R. 516 (E), dated the 25th May, 2017, publishing the Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2017.
- (2) G.S.R. 641 (E), dated the 24th June, 2017, publishing the Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of 150th Birth Anniversary of Shrimad Rajchandra) Rules, 2017.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (3) G.S.R. 829 (E), dated the 5th July, 2017, publishing the Coinage of One Thousand Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of Shree Jagannath Nabakalebara Festival 2015 Rules, 2017.
- (4) G.S.R. 1146 (E), dated the 11th September, 2017, publishing the Coinage (Issue of Commemorative coins on the occasion of Birth Centenary of Dr. M.S. Subbulakshmi Rules, 2017.
- (5) G.S.R. 1147 (E), dated the 11th September, 2017, publishing the Coinage of One Hundred Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the occasion of Dr. M.G. Ramachandran Birth Centenary Rules, 2017.

II.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(a) Twelfth Annual Report and Accounts of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

श्री शिव प्रताप शुक्ला: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

the Ministry of Finance (Department of Financial Service), under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:—

- (1) F. No. IRDAI/Reg/4/141/2017, dated the 25th April, 2017, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.
- (2) F. No. IRDAI/Reg/5/142/2017, dated the 5th May, 2017, publishing the IRDAI (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017.
- (3) F. No. IRDAI/Reg/7/144/2017, dated the 17th May, 2017, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (First Amendment) Regulations, 2017.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda:—

- (1) S.O. 1155 (E), dated the 11th April, 2017, amending Notification No. S.O. 993 (E), dated the 2nd May, 2012, to substitute/insert certain entries in the original Notification.
- (2) S.O. 1156 (E), dated the 11th April, 2017, publishing the Levy of Fees (Customs Documents) Amendment Regulations, 2017.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (3) G.S.R. 352 (E), dated the 13th April, 2017, amending Notification No. G.S.R. 655 (E), dated the 16th September, 2014, to substitute certain entries in the original Notification.
- (4) G.S.R. 453 (E), dated the 11th May, 2017, amending Notification No. G.S.R. 1099 (E), dated the 29th November, 2016, to substitute certain entries in the original Notification.
- (5) G.S.R. 729 (E), dated the 29th June, 2017, publishing the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Regulations, 2017.
- (6) G.S.R. 730 (E), dated the 29th June, 2017, publishing the Shipping Bill (Electronic Declaration) (Amendment) Regulations, 2017.
- (7) G.S.R. 803 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
- (8) G.S.R. 804 (E), dated the 30th June, 2017, amending Notification No. G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997, to insert certain entries in the original Notification.
- (9) G.S.R. 810 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Bill of Entry (Forms) (Amendment) Regulations, 2017.
- (10) G.S.R. 811 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Courier Imports and Exports (Clearance) (Amendment) Regulations, 2017.
- (11) G.S.R. 812 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Processing) (Amendment) Regulations, 2017.

- (12) G.S.R. 2057 (E), dated the 30th June, 2017, amending Notification No. S.O. 2281 (E), dated the 1st July, 2016, to substitute certain entries in the original Notification.
- (13) S.O. 2671 (E), dated the 17th August, 2017, amending Notification No. S.O. 2186 (E), dated the 17th September, 2014, specifying classes of importers who shall pay customs duty electronically.
- (14) G.S.R. 1064 (E), dated the 24th August, 2017, regarding appointment of Principal Chief Commissioners of Customs or Chief Commissioners of Customs, for the areas falling within the jurisdiction of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs.
- (15) G.S.R. 1136 (E), dated the 7th September, 2017, regarding appointment of Principal Chief Commissioners of Customs or Chief Commissioners of Customs, for the areas of jurisdiction falling within the jurisdiction of the Commissioner of Customs (Audit), mentioned in the corresponding entry.
- (16) G.S.R. 1154 (E), dated the 14th September, 2017, amending Notification No. G.S.R. 1064 (E), dated the 24th August, 2017, to substitute certain entries in the original Notification.
- (17) G.S.R. 1210 (E), dated the 29th September, 2017, regarding appointment of Commissioner of Customs (Appeals), who shall have the jurisdiction in relation to an

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

order or decision of the officer subordinate to that officer as mentioned.

- (18) G.S.R. 1347 (E), dated the 30th October, 2017, appointing the place in column (3) of the table, situated in the State or Union Territory as the case may be, for the purpose as specified in the corresponding entry.
- (19) G.S.R. 1348 (E), dated the 30th October, 2017, amending Notification No. G.S.R. 1064 (E), dated the 24th August, 2017, to substitute certain entries in the original Notification.
- (20) S.O. 3895 (E), dated the 15th December, 2017, amending Notification No. S.O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, to substitute certain entries in the original Notification.
- (21) No. 117/2017-Customs (N.T.), dated the 19th December, 2017, determining the rate of Exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for imported and export goods *w.e.f.* 20th December, 2017.
- (22) No. 118/2017-Customs (N.T.), dated the 21st December, 2017, determining the rate of Exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for imported and export goods *w.e.f.* 22nd December, 2017.
- (23) G.S.R. 1579 (E), dated the 22nd December, 2017, amending Notification No. G.S.R. 593 (E), dated the 29th July, 2011, to substitute certain entries in the original Notification.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (24) G.S.R. 1580 (E), dated the 22nd December, 2017, amending Notification No. G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009, to substitute certain entries in the original Notifications.
- (25) G.S.R. 1608 (E), dated the 29th December, 2017, amending Notification No. G.S.R. 423 (E), dated the 1st June, 2011, to substitute certain entries in the original Notification.
- (26) G.S.R. 1609 (E), dated the 29th December, 2017, amending Notification No. G.S.R. 499 (E), dated the 1st July, 2011, substituting certain entries in the original Notification.
- (27) S.O. 4105 (E), dated the 29th December, 2017, amending Notification No. S.O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, to substitute certain entries in the original Notification.
- (28) No. 1/2018-Customs (N.T.), dated the 4th January, 2018, determining the rate of Exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for imported and export goods *w.e.f.* 5th January, 2018.
- (29) G.S.R. 14 (E), dated the 5th January, 2018, amending Notification No. G.S.R. 1341 (E), dated the 27th October, 2017, substituting certain entries in the original Notification.
- (30) G.S.R. 15 (E), dated the 5th January, 2018, amending Notification No. G.S.R. 785 (E), dated the 30th June, 2017, to substitute certain entries in the original Notifications.
- (31) G.S.R. 22 (E), dated the 12th January, 2018, amending

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

certain notifications as specified therein to substitute certain entries in the original Notifications.

(32) S.O. 233 (E), dated the 15th January, 2018, amending Notification No. S.O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, to substitute certain entries in the original Notification.

(33) No. 06/2018-Customs (N.T.), dated the 18th January, 2018, determining the rate of Exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for imported and export goods *w.e.f.* 19th January, 2018.

III. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. G.S.R. 50 (E), dated the 22nd January, 2018, amending Notification No. G.S.R. 1178 (E), dated the 21st September, 2017, to substitute certain entries in the original Notification, under Section 159 of the Customs Act, 1962 and sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944, along with Explanatory Memorandum.

IV. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. G.S.R. 1538 (E), dated the 21st December, 2017, amending Notification No. G.S.R. 924 (E), dated the 24th December, 2012, to insert certain entries in the original Notification, under sub section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memorandum.

V. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:—

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (1) G.S.R. 616 (E), dated the 21st June, 2017, appointing the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of Sections 1, 2, 3, 4, 5, 17, 21 and Section 22 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 shall come into force.
- (2) G.S.R. 701 (E), dated the 28th June, 2017, appointing the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of Sections 6 to 16, 18 to 20 and 23 to 26 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 come into force.
- (3) G.S.R. 741 (E), dated the 30th June, 2017, notifying www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill *w.e.f.* 22.06.2017.
- (4) G.S.R. 742 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Union Territory Goods and Services Tax (Andaman and Nicobar Islands) Rules, 2017.
- (5) G.S.R. 743 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Union Territory Goods and Services Tax (Chandigarh) Rules, 2017.
- (6) G.S.R. 744 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Union Territory Goods and Services Tax (Dadra and Nagar Haveli) Rules, 2017.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (7) G.S.R. 745 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Union Territory Goods and Services Tax (Daman and Diu) Rules, 2017.
- (8) G.S.R. 746 (E), dated the 30th June, 2017, publishing the Union Territory Goods and Services Tax (Lakshadweep) Rules, 2017.
- (9) G.S.R. 748 (E), dated the 30th June, 2017, notifying that the registered person having annual turnover as specified in Column (2) of the Table therein shall mention the number of digits of Harmonised System of Nomenclature Codes as specified in corresponding entry therein in the Union Territory Goods and Services Tax (Andaman and Nicobar Islands) Rule, 2017.
- (10) G.S.R. 749 (E), dated the 30th June, 2017, notifying that the registered person having annual turnover as specified in Column (2) of the Table therein shall mention the number of digits of Harmonised System of Nomenclature Codes as specified in corresponding entry therein in the Union Territory Goods and Services Tax (Chandigarh) Rule, 2017.
- (11) G.S.R. 750 (E), dated the 30th June, 2017, notifying that the registered person having annual turnover as specified in Column (2) of the Table therein shall mention the number of digits of Harmonised System of Nomenclature Codes as

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

specified in corresponding entry therein in the Union Territory Goods and Services Tax (Dadra and Nagar Haveli) Rule, 2017.

- (12) G.S.R. 751 (E), dated the 30th June, 2017, notifying that the registered person having annual turnover as specified in Column (2) of the Table therein shall mention the number of digits of Harmonised System of Nomenclature Codes as specified in corresponding entry therein in the Union Territory Goods and Services Tax (Daman and Diu) Rule, 2017.
- (13) G.S.R. 752 (E), dated the 30th June, 2017, notifying that the registered person having annual turnover as specified in Column (2) of the Table therein shall mention the number of digits of Harmonised System of Nomenclature Codes as specified in corresponding entry therein in the Union Territory Goods and Services Tax (Lakshadweep) Rule, 2017.
- (14) G.S.R. 1328 (E), dated the 24th October, 2017, notifying automatically extended to notifications of issued under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 relating to the subjects referred in Section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax.

VI. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. G.S.R. 964 (E), dated the 27th July, 2017, publishing the Goods and services Tax Settlement of funds Rules, 2017, under Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017; Section 24 of the Integrated Goods and Services Act, 2017; and Section 24 of the Union Territory Goods and

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memorandum.

VII. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 747 (E), dated the 30th June, 2017, seeking to fix the rate of interest per annum for the purposes of Section 21 as specified in Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, under Section 24 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017; and Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memorandum.

VIII. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:—

- (1) G.S.R. 1598 (E), dated the 29th December, 2017, seeking to extend the due dates for quarterly furnishing of FORM GSTR-1 for taxpayers with aggregate turnover of upto Rs. 1.5 crore.
- (2) G.S.R. 1599 (E), dated the 29th December, 2017, seeking to extend the due dates for quarterly furnishing of FORM GSTR-1 for taxpayers with aggregate turnover of upto Rs. 1.5 crore.
- (3) G.S.R. 1600 (E), dated the 29th December, 2017, seeking to waive the late fee payable for failure to furnish the return in FORM GSTR-4 by the due date.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (4) G.S.R. 1601 (E), dated the 29th December, 2017, appointing the 1st day of February, 2018, as the date from which the provisions of serial numbers 2(i) and 2(ii) of notification No. 27/2017-Central Tax dated the 30th August, 2017 published *vide* G.S.R. 1121 (E), dated the 30th August, 2017 shall come into force.
- (5) G.S.R. 1602 (E), dated the 29th December, 2017, publishing the Central Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2017.
- (6) G.S.R. 02 (E), dated the 1st January, 2018, amending Notification No. G.S.R. 647 (E), dated the 27th June, 2017 to substitute certain entries in the original Notification.

IX. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 03 (E), dated the 1st January, 2018, amending Notification No. G.S.R. 648 (E), dated the 27th June, 2017 to substitute certain entries in the original Notification, under Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017; and Section 24 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memorandum.

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli, Uttar Pradesh, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

mentioned at (a) above.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre, Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust, Dindigul, Tamil Nadu, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Centre.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(Ends)

**STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE**

SHRI HARIVANSH (BIHAR): Sir, I to lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Final Action Taken Statements of the Government on the Recommendations contained in Chapter I of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence (2017-18):—

- (i) Tenth Report of the Committee on Defence (2015-16) on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-second Report (Fifteenth Lok Sabha) on the subject 'Threat Perception and preparedness of the Forces including incursion on borders, coordination mechanism with the

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Central Armed Police Forces and Border connectivity through Road, Air and Rail' pertaining to the Ministry of Defence;

- (ii) Eleventh Report of the Committee on Defence (2015-16) on the Observations/Recommendations contained in the Third Report of the Committee (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Defence on Army (Demand No. 22);
- (iii) Thirteenth Report of the Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on the Observations/Recommendations contained in the Action Taken on the Fifth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Committee on Defence (2015-16) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Defence on Ordnance Factories and Defence Research and Development Organization (Demand Nos. 25 & 26);
- (iv) Seventeenth Report of the Committee on Defence (2015-16) on the Observations/ Recommendations contained in the Ninth Report of the Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands For Grants (2015-16)' of the Ministry of Defence on Ordnance Factories and Defence Research and Development Organisation (Demand No. 26 and 27);
- (v) Eighteenth Report of the Committee on Defence (2015-16) on the Observations/Recommendations contained in the Seventh Report of the Committee (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Defence on Army (Demand No. 23);

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (vi) Twenty-fifth Report of the Committee on Defence (2015-16) on the Observations/Recommendations contained in the Twentieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Defence on Army, Navy and Air Force (Demand No. 22); and
- (vii) Twenty-sixth Report of the Committee on Defence (2015-16) on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-first Report of the Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry on Defence on 'Ordnance Factory Board, Defence Research and Development Organisation, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, Directorate General Quality Assurance and National Cadet Corps' (Demand No. 20).

(Ends)

श्री सभापति: यह पुरानी आदत इतनी जल्दी जायेगी नहीं। ... (व्यवधान)...

श्री हरिवंश: धीरे-धीरे जायेगी। ... (व्यवधान) ... नरेश जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद दिलाया।

श्री सभापति: नरेश जी ने आपको याद दिलाया, तो यह अच्छा हुआ। मैं चाहता हूँ कि सदस्यगण इन विषयों के ऊपर थोड़ी गम्भीरता से ध्यान दें। I also want to tell the hon. Members that it has been decided that the format of the letter to be addressed to the Chairman will be changed and hereafter, it will not be written 'yours faithfully', it will be written as 'yours sincerely' or in any other respectable manner.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Secondly, I also want to tell all the hon. Members that as you know the Chairman of the Rajya Sabha is holding dual responsibility of Chairman, Rajya Sabha and also the Vice-President of India, I often find an embarrassing situation where the Members and also others call the Vice-President as 'Your Excellency'. I would request and suggest the hon. Members and also the general public that they should address the Chairman or even the Vice-President of India as the hon. Vice-President. There is no need to use the words 'His Excellency' or 'Her Excellency'. There is no need to use such phrases in future. Now, we will go to... ..(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have given notice under Rule 267. ... (Interruptions)...

श्री सभापति: देरेक जी, अभी आप बैठिए। ... (व्यवधान)...

PAPERS LAID ON TABLE – CONTD.

MR. CHAIRMAN: Please.(Interruptions)... Now, Shri R.K. Singh.

SHRI RAJ KUMAR SINGH: Sir, I lay on the Table—

I.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

- (a) Sixth Annual Report and Accounts of the Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), New Delhi, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—
- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Solar Energy (NISE), Gurugram, for the year 2013-14, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) (a) above.
 - (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Solar Energy (NISE), Gurugram, for the year 2014-15, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ii) (a) above.
 - (iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Solar Energy (NISE), Gurugram, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iii) (a) above.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: I have received notices from some hon. Members on certain issues. I have declined permission for the same. It is from TMC, it is from Akali Dal and it is from some other parties. ...(Interruptions)... Yes, also from TDP. I have gone through the notices and found that... ...(Interruptions)... Dr. Ramachandra Rao. ...(Interruptions)... Please.

डॉ. सुशील गुप्ता: *

MR. CHAIRMAN: Please don't speak without permission. ...(Interruptions)... What you are saying is not going on record. You are hon. Member; you are new to the House also. You are a very educated person. Please follow the rules. What I suggest is to please follow the rules and give notice in other form. I will definitely examine it and consider it positively.

* **Not recorded.**

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRI DEREK O'BRIEN: This issue where the Governor of a State is writing directly... ..(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You are not supposed to take the name of the Governor. Mr. Derek O' Brien, please. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: I am willing to place it on the Table. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: It will not go on record. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

SHRI TAPAN KUMAR SEN: *

MR. CHAIRMAN: I have not permitted you. Please sit down. ... (Interruptions)... Will you please sit down? ... (Interruptions)... Will you please sit down? ... (Interruptions)... Please sit down. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, allow us to explain. ... (Interruptions)...

* Not recorded.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. CHAIRMAN: It cannot be a condition. ...(Interruptions)... It cannot be a condition. You do not want the House to run. Okay. I will adjourn the House. I adjourn the House up to 2.00 p.m. today.

- - -

**The House then adjourned at five minutes
past eleven of the clock.**

SK-VNK/1B/2.00

**The House reassembled at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will continue with the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. ...(Interruptions).. Why do all of you stand up then? ...(Interruptions).. If LoP wants to say something, I will hear. But all of you take your seats. ...(Interruptions).. Let me say that this is the time for the discussion on the President's Address.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, we know that. We also know that there was Zero Hour at 11 o'clock. We also know that there was Question Hour at 12 o'clock. Without having any respect for the Zero Hour, and the sentiments to be expressed by the Leaders and Members of various political parties and the States which they are representing here in this House, and the very important Question Hour, which is always there ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you see...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Let me finish. ..(Interruptions).. Sir, you have raised the issue that there is discussion on President's Address. Now going back, there was also the Zero Hour and there was also the Question Hour, which we were interested to discuss. We were interested in having the Zero Hour. We were interested in having the Question Hour, without boycotting it. We were sitting on our seats. Sir, this House is being conducted under rules, regulations, procedures and conventions, and if the hon. Chairman is ..(Interruptions)..

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you cannot criticize the
..(Interruptions)..

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, no. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever be the ruling of the Chairman,
you cannot criticize that. ..(Interruptions)..

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am not criticizing the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Or the decision of the Chair.
..(Interruptions)..

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am just reminding the duty of those who
serve on the Chair that the proceedings of this House are being
conducted under rules, regulations, procedures and conventions of the
House. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would request the hon. LoP
..(Interruptions).. One minute, hon. LoP. ..(Interruptions)..

SHRI GHULAM NABI AZAD: So, each Chairperson, howsoever big he
or she may be, howsoever small he or she may be, has to run this
House according to the rules, regulations and procedures.
..(Interruptions)..

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ..(Interruptions).. Hon. LoP, please. ..(Interruptions)..

SHRI GHULAM NABI AZAD: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would request the hon. LoP that the intention of all of you, of the hon. Chairman and also of myself is to run the House smoothly. ..(Interruptions).. Let me complete. ..(Interruptions).. Let me complete. ..(Interruptions)..
बैठिए।...(व्यवधान)... So, the intention is to run the House smoothly.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Yes, agreed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, in that process, you may have one view, I may have a different view. It is also possible. If such a difference of views is there, and especially when you expressed that it is with regard to this morning when hon. Chairman was in the Chair, my advice is, please meet the hon. Chairman in his Chamber, discuss and sort it out. ..(Interruptions)..

***Expunged as ordered by the Chair.**

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Anyhow, no observation against the Chairman will go on record. No remarks ..(Interruptions)..

SHRI RIPUN BORA: Sir, Chairman is Chairman. ..(Interruptions).. *

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति महोदय, चेयर ने हरदम हम लोगों से यह आशा की कि हम नियमों के अनुसार चलें।...(व्यवधान)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, how can he say that *?

..(Interruptions).. How can he say? ..(Interruptions)..

SHRI RIPUN BORA: Today, he had ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ..(Interruptions).. You please sit down. ..(Interruptions)..

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, how can he use such words?

..(Interruptions)..

(Followed by YSR/1C)

YSR-NKR/2.05/1C

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): I am requesting you...(Interruptions)... Please meet the hon. Chairman in the Chamber. ...(Interruptions)... I would request the hon. Leader of the

***Expunged as ordered by the Chair.**

Opposition...(Interruptions).. You cannot sort it out here.

...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, आप मेरी बात सुन लीजिए।
 ..(व्यवधान).. चेयर हम लोगों से आशा करती है कि हम नियमों में रहकर चलें।..(व्यवधान).. हम भी आशा करते हैं कि नियमों का सभी पालन करें।
 ..(व्यवधान).. नियमों के अंतर्गत हमें सुना जाए। ..(व्यवधान).. महोदय, हम चेयर को कभी पक्षपात करता नहीं मानते।..(व्यवधान).. हम आज भी चेयर पर अविश्वास नहीं करते।..(व्यवधान).. चेयर को भी यह मालूम है कि वे किसी दल के सदस्य नहीं हैं।..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood.

श्री नरेश अग्रवाल : पहले दिन चेयर ने हमें बड़ी आशा दिलाई थी और हमें उन पर आज भी विश्वास है। हम उन पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं।
 ..(व्यवधान).. हम अविश्वास लाना भी नहीं चाहते, लेकिन जो व्यवहार हो रहा है, नियमावली में

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

जो नियम बने हुए हैं, ..(व्यवधान).. अगर उन नियमों के अंदर हमें बोलने नहीं देंगे, ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Talk to the Chairman.

श्री नरेश अग्रवाल : महोदय, राज्य सभा का टी.वी. ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why don't you meet hon. Chairman and speak?

श्री नरेश अग्रवाल : * ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... I will have to adjourn the House then. ...(Interruptions)... I will have to adjourn the House. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. ...(Interruptions)... Give me a chance to speak. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On these matters, I request the hon. Members to meet the hon. Chairman in the Chamber and discuss. ...(Interruptions)... No more discussion on this matter. ...(Interruptions)... I cannot allow discussion on that. ...(Interruptions)... No discussion on this. ...(Interruptions)....

***Expunged as ordered by the Chair.**

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRI DEREK O'BRIEN: Give me a minute. ...(Interruptions)...
Please understand this. ...(Interruptions).. What happened this morning between 11 o'clock and two minutes past eleven of the clock did not happen in the Chamber. It happened in the full public view. ...(Interruptions)... Why should we go to the Chamber? ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Why should we go to the Chamber? ...(Interruptions)... Sir, we have full respect for the Chairman. ...(Interruptions)... What happened today has never happened since 1950. ...(Interruptions)... You check the record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should see the Rule. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, allow me to put on record what happened. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)...I have to go...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no. ...(Interruptions)... Sir, there were 12 Zero Hour notices. ...(Interruptions)... There were three notices

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

under Rule 267. There is a *parampara*, इस हाउस में परम्परा है,
..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You read the Rule. ...(Interruptions)...
You read Rule 267. ...(Interruptions)... You can raise it only with the
prior permission of the Chairman. ...(Interruptions)... He has
exercised that Rule only. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Why was the House adjourned?
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You change the Rule. ...(Interruptions)...
Rule 267 says that a matter under it can be raised only with the prior
permission of the Chairman. And if hon. Chairman has exercised that
Rule, what can I do? ...(Interruptions)... So, you change the Rule.
...(Interruptions)... You change the Rule. ...(Interruptions)... You
change the Rule. ...(Interruptions)... You meet the Chairman.
...(Interruptions)... Meet the Chairman. ...(Interruptions)... No, no.
...(Interruptions)... I have to take up the discussion now.
...(Interruptions)... Otherwise, I will adjourn the House.
...(Interruptions)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please hear me out. ...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, I will adjourn the House.

...(Interruptions).. Do you want the discussion? ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the Leader of the Opposition has spoken.

...(Interruptions)... Two other political parties have spoken.

...(Interruptions)... There are eight or nine other political parties who wish to speak now. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... I am not allowing a discussion...(Interruptions)... No, no. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It is a question of point of order.

...(Interruptions)... Its importance is similar to a point of order.

...(Interruptions)... We want the protection of the right of every individual Member...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am going to do.

...(Interruptions)... To protect the right of Members to speak.

...(Interruptions)... No. ...(Interruptions)...(Interruptions).. I have to resume the discussion on Motion of Thanks. ...(Interruptions)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD):

Let everybody speak, then we will tell you. ...(Interruptions)...

Let every Member speak at least for one minute. ...(Interruptions)....

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot allow...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Half-a-minute...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Let everybody speak for half-a-minute.

...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I can only allow discussion...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : हाउस में यह परम्परा थी। ..(व्यवधान) ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing any other discussion.

...(Interruptions)... Only on Motion of Thanks on the President's Address. ...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, if we are not allowed to speak...(Interruptions)... I mentioned it yesterday also.

...(Interruptions)... Our voices are being muzzled outside.

...(Interruptions)... And if our voice is muzzled inside the House, we are going to boycott for the whole day. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned up to 3.00 p.m.

The House then adjourned at ten minutes past two of the clock.

BHS-DS/1D/3.00

**The House reassembled at three of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will continue with the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. ... (Interruptions) ...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, (Interruptions) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ... (Interruptions) ... No, sit down. ... (Interruptions) ... Now, Shri Ahmed Patel, not present. Shri Neeraj Shekhar, not present. ... (Interruptions) ...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, (Interruptions) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Vijila Sathyananth. ... (Interruptions) ...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, I (Interruptions) ...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, one minute. ... (Interruptions) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have called Shrimati Vijila Sathyananth. ... (Interruptions) ...

SHRI C.M. RAMESH: One minute, please. ... (Interruptions) ...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the problem? ...(Interruptions)...

I have called her. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: I have given notice in the morning.

...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For what? ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: What happened to my notice, I do not know. In

the morning, I had given Rule 267 notice. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions).... You cannot

raise Rule 267 now. ...(Interruptions).... Sit down. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, I had given it in the morning.

...(Interruptions).... Even now, there is not

anything.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(Interruptions).... Sit

down. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: No, Sir. ...(Interruptions).... We have our

demand, Sir. ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot raise it now.

...(Interruptions).... Sit down. ...(Interruptions)....

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRI C.M. RAMESH: No, Sir. ...(Interruptions)... We have our demand, Sir. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... What are you doing? ...(Interruptions)... You know the Rules. ...(Interruptions)... What are you doing? ...(Interruptions)... So, when one Member has gone, another Member has come. What is this? ...(Interruptions)... No, no. You go back, please. ...(Interruptions)... I will tell you. If you have some grievances, you meet the concerned Minister and discuss. Give a representation. Do that. ...(Interruptions)... No point is served by doing this. ...(Interruptions)... That is correct. The Chairman did not allow your notice. Is it not? ...(Interruptions)... It is not the time for Rule 267; so, it cannot be taken. Please go back. ...(Interruptions)... By disturbing the proceedings of the House, you will not achieve anything. ...(Interruptions)... You are disrupting. ...(Interruptions)... Then, what are you doing? ...(Interruptions)... I am advising you. ...(Interruptions)... I will tell you. Can you listen to me? ...(Interruptions)... The advice of seniors, you should listen. I was in the Chair when the bifurcation Bill was discussed and passed. ...(Interruptions)... I know. ...(Interruptions)... I am advising you.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

...(Interruptions)... I know the then Government had given some assurance. The way to solve it is to approach the concerned Minister. ...
...(Interruptions)... Or you can approach the Prime Minister. ...
...(Interruptions)... You approach the concerned Minister or the Prime Minister and try to solve. ...
...(Interruptions)... Do not do it. ...
...(Interruptions)... No, no. ...
...(Interruptions)... I cannot.....
...(Interruptions)... No, please. ...
...(Interruptions)... What are you doing? ...
...(Interruptions)... No, please. ...
...(Interruptions)... Let us have the discussion. ...
...(Interruptions)... You allow the discussion. ...
...(Interruptions)... How can the Chair do that? What can we do? ...
...(Interruptions)... You do one thing. ...
...(Interruptions)... Tomorrow morning, meet the hon. Chairman. ...
...(Interruptions)... Do that. ...
...(Interruptions)... Tomorrow, you meet the hon. Chairman. I will also be there. ...
...(Interruptions)... I will also support your case. ...
...(Interruptions)... Now, go back. ...
...(Interruptions)... Now, Shrimati Vijila Sathyananth. ...
...(Interruptions)...

DR. K. KESHA RAO: Sir, I have a point of order. ...
...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What point of order? ...(Interruptions)...
Tell me. ...(Interruptions)... What is the point of order?
...(Interruptions)...

DR. K. KESHAVA RAO: I do not see the House in order because I see
the entire Opposition.....(Interruptions)... Sir, let me complete it.
...(Interruptions)... That is what is exactly happening here.
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)...

DR. K. KESHAVA RAO: The entire Opposition Benches are empty.
There should have been a reason. Let somebody explain that to us
and for putting the House in order, we must.....(Interruptions)... Sir,
the question is this. You know it because I was not here in the
morning. I have seen in the press reports that Members have raised a
serious objection to the way the morning session ran.
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)...

DR. K. KESHAVA RAO: If that be true.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I understood. ...(Interruptions)...

DR. K. KESHAVA RAO: If that be the case.....(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood. ...(Interruptions)...

DR. K. KESHA RAO: Since you have understood, I am trying to tell you another thing. You could as well call a few of them and sort it out so that everything will be okay. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)... Your suggestion is well-taken. ...(Interruptions)... Certainly your suggestion is good. But since you have raised the matter, I want to tell you that the Chair is not bothered whether this side or that side is present. The Chair is bothered only if there is a quorum or not. ...(Interruptions)...

(Contd. by RL/1E)

-BHS/RL-MCM/3.05/1E

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Now, listen. ...(Interruptions)... To me, continuing the House is important because the Chair is totally neutral. ...(Interruptions)...

DR. K. KESHA RAO: Sir, I understood that. You are a senior Member here, but at the same time....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; let me say. ...(Interruptions)... I understood your point. ...(Interruptions)... I got your political point.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

...(Interruptions)... I got your political point and I agree with that. You said that they should be called and the matter should be sorted out. That I accepted. I said that this should be done. I have no problem. At the same time, I would also like to say that the Chair is neutral and the Chair is not bothered whether this side or that side is present. The Chair is only bothered about whether there is quorum or not and since there is quorum, I can continue.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Deputy Chairman, you allowed him, so, I just want to seek one clarification. We are at the stage of Motion of Thanks to the President's Address. Now, in this decision to boycott it, we are all here and....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; nobody told me.
...(Interruptions)...

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: They have announced it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't know. ...(Interruptions)... I am not concerned with what they said outside.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: In view of their...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody told me. I am not concerned with what they said outside. For me, I am seeing some seats vacant.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

...(Interruptions)... That is all. ...(Interruptions)... That is nothing for me. ...(Interruptions)...

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: In view of their absence, should we not resolve that they would not get their daily allowances for the day?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If that issue is taken up then, every day, I will have to count the number of absentees. Certainly, if you can bring it in force, the Government will get money to that extent because every day I find some Members absent. If you can implement this suggestion, I welcome it for those who are absent. But that should not be done only for one day; it should be done for every day. So, Swamji, you agree that it will be for every day. Now, Shrimati Vijila Sathyananth. ...(Interruptions)... No, no; you made your point. ...(Interruptions)... Please go back. No, please. Now, Shrimati Vijila Sathyananth. ...(Interruptions)...

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS – contd.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Hon. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President's Address. ...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You continue to speak. ...(Interruptions)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: First and foremost, I thank our hon. President for graciously coming over to the Central Hall and addressing both the Houses of Parliament. ...(Interruptions)... I deeply thank him for that. At the outset, I have to put forth that there was no mention of certain things which have been the issues, long pending issues pertaining to my State. ...(Interruptions)... So, with regret, I have to place here that the hon. President has not put forth the major issues which I wanted to tabulate here. ...(Interruptions)... One thing is, it cannot be denied that communication of justice in the language of the party seeking justice is as important and crucial as the determination of justice. But, it is a great travesty of justice that no effort has been made in the last 70 years to make sure that adequate steps are taken to ensure that justice is imparted by rendering judgment in the language of the party seeking justice. It is high time and no more delay can be made to ensure that this is done on a war-footing so that the concerned parties don't face problems in understanding the implications of the judgment delivered and how it affects them directly or indirectly. ...(Interruptions)... I have to put

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

forth here that our hon. President himself has mentioned it. While speaking at a function of the Kerala High Court, none other than the President, Shri Ram Nath Kovind, strongly advocated for a system where translated copies of the High Court judgments in local and regional language are made available to litigants as it will be in the language in which they understand the best. ...(Interruptions)... So, I want to put forth here our hon. President's remarks in this matter that the language in the High Court should be the language which can be understood by both the parties, that is, the litigants as well as the complainants. They should really know the details of what is actually in the judgment and as to what they are going for.

(CONTD. BY DC/1F)

-RL/DC-SC/1F/3.10

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (CONTD.): We want that the High Court of Madras should have an official language. Tamil should be the official language in the High Court of Madras. It was not mentioned in the President's Address to both the Houses of Parliament. ...(Interruptions)... I also want to mention the main issue i.e., the Cauvery issue. The Cauvery water should be released by Karnataka

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

because the standing seasonal samba crops spread over 40,000 acres in Tamil Nadu is dried up and we want the Cauvery water to be immediately released as per the Supreme Court order. ... (Interruptions)... I want to draw the attention of this House that seeing the pitiable state of Tamil Nadu farmers, the Supreme Court used the quote, 'Live and let live'. The Supreme Court has referred to this quote i.e. 'Live and let live.' It has been referred to for our State. "When there is deficit in the release of water, some attempts have to be made by Karnataka so that Tamil Nadu can survive as an entity." The Supreme Court has given this order. This order has been given by the Supreme Court that when there is deficit in the release of water, some attempts have to be made by Karnataka so that Tamil Nadu can survive as an entity. It has been said by the Supreme Court. Today, the existence of Tamil Nadu farmers as an entity itself is in question. Hon. Chief Minister has asked for time to have a talk with his counterpart from Karnataka and his counterpart from Karnataka has not so far given him time in this regard. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. I cannot hear. ... (Interruptions)... I want to hear. ... (Interruptions)... Please. ... (Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: The emotions of the people and farmers of Tamil Nadu are running high. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Vijilaji*, one minute. ...(Interruptions)...

Rameshji, I have told you that I was also here, I was in the Chair when this...(Interruptions)...

I told you, you can meet the hon. Chairman tomorrow; I will also be there and support you...(Interruptions)...

Let me say. ...(Interruptions)...

Or you can meet the hon. P.M. or the Leader of the House, who is here, you can approach him. ...(Interruptions)...

Nobody is against your demand. I know about this. By disturbing like this, by shouting slogans, you are not achieving anything. ...(Interruptions)...

You do one thing. You go back to your seat and after *Vijilaji's* speech is over, I hope the Government may...(Interruptions)...

No, no. But stop shouting slogans. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: The F.M. has to... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. After she finishes. ...(Interruptions)...

After she finishes. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: This is important. ...(Interruptions)...

This is important. ...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree. I am telling you, after she finishes, the F.M., who is the Leader of the House, will respond. Go and sit.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has asked for time to meet his counterpart, the Karnataka Chief Minister but that could not happen so far and the emotions of farmers of Tamil Nadu are running high. Here, logical explanation will get us nowhere. Some six months before, all the protests done by the farmers went nowhere. They did not get even a scant respect. They were shouting in dismay. They were left alone and they were not even treated with respect. If the Cauvery Water Management Board had been formed according to the Supreme Court order, we would not have been in a position to beg for water to a different State. The Central Government should immediately take steps to release water and constitute the Cauvery Water Management Board and the Cauvery Water Regulatory Committee with immediate effect. The Monitoring Committee has to be formed.

I also want to put forth that our hon. President has not mentioned about the workers mainly engaged in Sivakasi fireworks industry. Two petitions seeking an all-India ban on fireworks were

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

admitted by the hon. Supreme Court on 01.12.2017 and the said case has been listed to be heard on 7th May, 2018. The buyers are not willing to place orders and make any payments for fireworks fearing an adverse order of ban at a later date.

(Contd. by KR/1G)

KR/1G/3.15

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (CONTD.): If the fireworks are banned by the Supreme Court, the fireworks purchased by them can't be sold or used anywhere in the country and they will go bankrupt. So, there is no hope that the case would be concluded early. It may take several months. Although the factories have been opened after 27 days of closure, they can't run for even a month since the same uncertainty and fear are continuing in the industry. So, an explicit exemption can be given to fireworks as is done in other countries from the operation of Rule 3(3B) under the Environment (Protection) Rules, 1986. Under the said rules, any gaseous emission from any operation shall not cause the ambient air quality standards violated for a continuous period of more than 48 hours. Here fireworks are used for only one day and by the next day all the emissions are dissipated in the atmosphere. I want

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

to bring to the kind attention of the Government that our hon. Chief Minister has also written a letter to the hon. Prime Minister on 17th January stating that the use of fireworks during Diwali and other religious and cultural festivals is deeply rooted in our tradition. Even the developed countries like the USA, Singapore, Japan, Australia and European countries allow massive display of fireworks. We have witnessed it in all the Olympic Games, and celebration of cultural and religious festivals like Christmas, New Year and Independence Day. But as per Rule 3 (3B) of the Environment (Protection) Rules, 1986 only when the level of pollutants mentioned in the Schedule VII goes beyond the prescribed limit for two consecutive tests shall the alarm bells ring. But in this case the fireworks almost, as reported, scientific data reveals reversing the level of pollution to the level prior to the use of fireworks within 24 hours. So, none of the firework manufacturers in Tamil Nadu is using the chemicals prohibited because they are using only chloride salts. So, they are not using the chemicals prohibited under various pollution control rules, or, by the hon. Supreme Court. So, the manufacturers of fireworks in Tamil Nadu are using safe and environment-friendly materials. Therefore, I urge the Ministry of

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Environment and Forests and Climate Change to carry out necessary amendment of Rule 3 (3B) of the Environment (Protection) Rules, 1986 and exempt the fireworks manufacturing industry from various provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986, thereby saving the livelihood of 8 lakh families dependent on the firework industry. I just wanted to focus on this mainly because there was no such remark in the President's Address.

I am also deeply concerned as the President's Address did not mention the issue of fishermen of our State. The Government of Tamil Nadu is extremely concerned about the continuing instances of apprehending and detaining our fishermen. The Government of Tamil Nadu strongly reiterates the need for the Government of India to register its strong disapproval against the Sri Lankan Navy's belligerent actions. The constitutional validity of Indo-Sri Lankan Agreement of 1974 has been challenged on extremely valid and legal grounds in the hon. Supreme Court of India in WP No.567 of 2008 by our hon. revered leader, Puratchi Thalaivi Amma in her own personal capacity. The Government of Tamil Nadu subsequently impleaded itself in the case. Hence in my view the International Maritime

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Boundary Limit is not yet settled issue. I reassure that the Government of Tamil Nadu is taking all possible steps and I seek the Government of India to diversify us away from trawler fishing to deep sea fishing in the Palk Bay as a way forward to put an end to the sufferings of our fishermen. It is a long, long pending issue. I deeply regret that our hon. President did not mention this issue in his Address which has been happening in the Palk Bay for so many years and also retrieval of the Katchatheevu.

(Continued bt 1H/KS)

KS/1H/3.20

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (contd.): I also want to refer to some of the issues which were mentioned in hon. President's Address.

One of them is the Health Insurance Scheme under which five lakh rupees have been proposed to be allocated for each family. Sir, this is on the basis of the Tamil Nadu Model. Actually, our late Chief Minister, hon. Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* had first introduced this scheme as the Comprehensive Health Insurance Scheme under which an individual got not only an amount up to four lakhs of rupees for surgery, but also an amount of Rs. 22 lakhs for organ transplant, from

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

the Tamil Nadu Health Services Project. So, the Comprehensive Health Insurance Scheme was introduced by our hon. the then Chief Minister, Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* as a model health scheme, which now the Government of India has followed and introduced this health scheme. This is the reality.

Let us take the Mid-day Meal Scheme. It was a pioneering scheme of our State because the hon. Dr. *Puratchi Thalaivar MGR* had introduced the scheme in all schools, as a result of which, slowly, the drop-out rate had been reduced. Now, we can boldly and strongly say that our State has been the foremost in reducing the drop-out rate in schools. The Gross Enrolment Ratio in higher education has also moved up to 46.8 per cent, whereas the national average is around 20 to 25 per cent. So, we are the pioneers in bringing education to reach the 'unreached'; we have reached the poorest families; they have been educated; the problem of drop-outs has been completely solved. The National Child Labour Project has been revamped; they have almost finished their job because the child labour has vanished. Take electrification for all. This has been introduced by the Central Government. But *Puratchi Thalaivar MGR* had introduced the 'one-hut-

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

one-land' scheme hundred years ago. Now, we are celebrating its centenary. Actually, it was a scheme which he had launched; he had electrified all the houses in villages, houses in the remotest of villages and tribal areas. That scheme had a great impact on the lives of the people in Tamil Nadu. So, the electrification scheme has also been thought of on the basis of the Tamil Nadu model. Then, let us talk about the interlinking of rivers. It was very disheartening to note that the hon. President did not mention about the interlinking of rivers, an issue that has been pending for a very long time. The interlinking of Godavari, Krishna and Palar rivers is the first step in this direction. Our hon. Amma had dreamt of interlinking Godavari with Palar river. This has to be done. Godavari and Krishna rivers' interlinking is almost on the way. But we want that Godavari, Krishna and Palar rivers interlinking should be taken up as an initial step, and it should be brought into light, at least, in the coming Budget. Sir, Tamil Nadu, was expecting a mention about expansion of the suburban trains' network in Chennai; this proposal has gone to Bengaluru and Mumbai. Actually, the fast growing city of Chennai needed additional suburban trains and the widening of the network. We had been looking forward

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

to some announcement in this regard, but that has not been mentioned in the Budget. We were really in dismay that nothing was announced in this regard.

I want to mention another thing, which is about women's upliftment programmes. Our former Chief Minister, *Dr. Puratchi Thalaivi Amma*, had done enormous work in this area, whether it is maternity issues or other issues. First, women in Tamil Nadu were given the benefit of maternity leave. Now, the Government of India has sanctioned only six weeks, but much before that, our Amma had given nine months' maternity leave; there was also a financial help of Rs. 18,000 for taking care of the child and the pregnant woman; during pregnancy she was given Rs. 18,000, in phases, so as to take care of her health and the health of her family -- that was her dream -- under Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme, as also under the Cradle Baby Scheme.

(CONTD. BY RSS/1J)

RSS/1J/3.25

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (CONTD.): Yesterday, we heard that an eight months' old girl baby was killed. We were hearing about

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

this news. Hon. Amma introduced the Cradle Baby Scheme just to save the girl babies who were thrown out of the families, and who were not acceptable to their families. They were brought and put in the baby cradle by the Government, and the Government nurtured them; they were given education, they were brought up, and they were given life by Dr. Puratchi Thalaivi Amma.

So far as the question of women safety is concerned, Tamil Nadu has been put at the first place in the women's safety index. It has been mentioned in the data, which has been released very recently, that in regard to women's safety, Tamil Nadu stands first. We have given that much protection to women, and women are safe in our State.

With regard to the Public Distribution System, it is one of the best implemented systems in our State. We saw the Food Security Act about which a mention was made by the hon. President. But, actually, Tamil Nadu introduced the Food Security Act first, and not only below poverty line families, but, all the cardholders, having the green cards, they are given 20 kgs. free rice every month. Though we get subsidized rice from the Central Government, we are giving the same free of cost to the people. So, the first and the foremost State which follows the

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Food Security Act is our State, and that is also on the basis of Tamil Nadu model. Earlier, *Arignar Anna* said, Oru padi arisi, that is, one hand full of rice free, and now, it has grown manifold. And due to the Puratchi Thalaivi Amma's farsighted mission, she started to give 20 kgs. free rice. The Puratchi Thalaivi Amma's Government gives pension of Rs. 1,000/- to the old age people for taking care of them, and out of that, the Centre gives only Rs. 200/- or Rs. 300/-. But, we want that the Centre should enhance that share for taking care of the old age people in our State. For mentally challenged people, the Amma's Government gives Rs. 1,500/-, whereas, we want more share of the Centre for this purpose also. We have been asking for assistance for the areas which were hit by Ockhi Cyclone where rehabilitation has to be done, and relief has to be given. For the Chennai floods, for drought, and then, for Ockhi Cyclone, altogether, we have been asking for Rs. 32,000 crores assistance from the Centre, but, so far, we got very, very less amount. First, we got Rs. 1,946 crores, and subsequently, we have been receiving very little amount. So, we want the Centre's share to be more.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Now, crop insurance has been designated to ICICI-Lombard, Agriculture Insurance Corporation Limited, and the New India Assurance. These three companies are taking care of the Crop Insurance Scheme. But, now, the State Government has no authority to question those people because the crop insurance fund has not been released. It is on record. I have taken these figures from the Government. Shri Gagan Singh Bedi, Agriculture Secretary to the Government of Tamil Nadu, is conducting review meetings every week, and every week, he is pleading with these companies to release the amount, but, to no avail. What we are seeing is that we have no authority to question these people. We have no authority to ask these insurance companies to release the crop insurance. We want to ask from the Government why these three companies alone have to be designated; ICICI-Lombard, Agriculture Insurance Corporation Limited, and the New India Assurance have been designated to give crop insurance to the farmers, whereas, they are not releasing the funds. Our State has been suffering. Our farmers have been suffering. So, this crop insurance amount has to be released as quickly as possible.

(contd. by 1k/KGG)

KGG/1K/3.30

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (contd.): I wanted to reiterate this and I have taken only three more minutes. I also wanted to put on record here many other points. NEET has already been mentioned here. We want the NEET to be abolished; it should go away from our State because there is one medical college in every district set up by hon. Amma. Amma started one medical college in every district by our land, by our water, by our own earnings.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, time is over.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Now we are foregoing our seats. We are giving away these seats to the common platform when the Tamilians, our children are suffering. They are suffering because of the language requirement as we don't have a common syllabus all over India. So, we have been denied of our right. Already our hon. leader mentioned here that it has not yet gone for the assent of the President. The Bill passed by the Tamil Nadu Assembly on this has not yet reached him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. That is all, Mrs. Vijila.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: That also has to be through. Our State has been suffering since long. ...(Interruptions)... We are begging in front of the Central Government because...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mrs. Vijila, I will have to say that nothing more will go on record. ...(Interruptions)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, the people have set them up by paying the income-tax properly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all, please sit down. You have taken five minutes extra. Please sit down. ...(Interruptions)... Mrs. Vijila, please sit down. Now nothing more will go on record. ...(Interruptions)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: *

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken extra minutes. Please sit down; it is not going on record. ...(Interruptions)... She made all her points emphatically. Mrs. Vijila, congratulations on saying things emphatically.

* **Not recorded.**

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Now, Mr. Finance Minister, would you like to respond to Mr. Ramesh?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, my friends from Andhra Pradesh are well aware that at least I have been fully sympathizing and trying to make sure that every unique part of Andhra Pradesh Reorganisation Act and the commitments made by the Central Government at all stages are honoured. The Central Government fully stands by it. The institutions which had to be created and monies under various heads which had to be given, all that is being done. There are two issues—one particularly as to how the amount in lieu of Special Status, which was a special package, had to be paid. We had announced, after an agreement with the State of Andhra Pradesh, that this would be given—and the State had requested for it—by way of externally-aided programmes. That is, in a normal Central Scheme, the State gets 60 per cent from the Centre and the State pays 40 per cent. If it had a Special Status, it would have got 90 per cent from the Centre. The difference is 30 per cent. In lieu of this 30 per cent for five years, for that amount which is calculated, the State said, 'give us externally-aided projects which the Centre can then fund 90:10 so that the adequate money compensation by the

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

special package is almost equivalent to the Special Status itself', because the Fourteenth Finance Commission had said that you can't give it to any State except the hill States and the North-Eastern State. This was agreed upon. The externally-aided programmes have to be approved by the external funding agencies whether JICA or World Bank and it takes time. Now, on the 3rd January, the Chief Minister has written to me saying that we should have it funded by NABARD. Once it is funded by NABARD, it creates a problem with regard to addition to the fiscal deficit because in that case the borrowing space of the State itself would be contracted. If we give through that route, it would reduce its borrowing space. So, I have had the whole issue examined. I have had a discussion today with several friends from Andhra Pradesh also.

(Contd. by KLS/1L)

KLS/LT/1L-3.35

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD): I think a solution by which this amount can be given through an alternative mechanism is being worked out. I have asked the Expenditure Secretary today to immediately call the Finance Secretary of Andhra Pradesh to Delhi and

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

work out the procedural formalities so that this also itself can be done.

...(Interruptions)... The amount will be the same. ...(Interruptions)...

Let the hon. Members be assured that there is no difficulty at all.

...(Interruptions)... So, there is the second issue that is the only other

issue pending, which is with effect from the year 2015-16, the 14th

Finance Commission took over. Therefore, the 14th Finance

Commission's recommendations apply. So, for ten months period

prior to that, the revenue deficit has to be made up by the Centre.

Now there is no formula as to how that revenue deficit is to be

calculated. I have today in my discussion with some friends from

Andhra Pradesh suggested a formulation. It is not that we are not

paying. Already towards the revenue deficit of those three months,

more than Rs.3,900 crore has been paid to Andhra Pradesh.

Therefore, there is only some dispute with regard to finalization of that

account. I have suggested a formulation. I think our officials, as soon

the Andhra Pradesh officers come, will discuss that formula also.

...(Interruptions)...

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(Interruptions)... Mr. Ramesh, that is clear. ...(Interruptions)... Mr. Ramesh, it is clear. ...(Interruptions)...

SHRI C.M. RAMESH: Four years time is over. ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI PIYUSH GOYAL): The Reorganization Act has talked about examining the feasibility of a zone in Andhra Pradesh.

SHRI C.M. RAMESH: Four years time is over. ...(Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: As you know, changing the zone and the contours of any zone involves consultations with a lot of other States, the neighbouring States. Therefore, through the Chair, I would like to assure the Members from Andhra Pradesh that after we finish the consultation with all the States we will find out a viable method by which there is no dispute. After all we have to take care of all the States in the country. This was what should have been done by the earlier Government before deciding and writing all these things in the Package, which, if they had done at that time, these things could have become much smoother. But, we are taking it upon ourselves to

discuss with the States and will try to find an amicable solution, it is still under examination.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(Interruptions)... That is enough. ...(Interruptions)... Shri Derek O'Brien. ...(Interruptions)... No. Shri Dilip Kumar Tirkey.

श्री दिलीप कुमार तिकी (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों और उसकी उपलब्धियों का एक document होता है, इसलिए वह काफी महत्वपूर्ण होता है। इस बारे में, इस बार के अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने स्वच्छता, वूमेन्स एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, economic ग्रोथ से लेकर तमाम मुद्दों की बात विस्तार से की है।

महोदय, लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव विकास और जन-कल्याण के कामों के लिए करती है। यह काम ओडिशा में माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में बीजू जनता दल की सरकार बखूबी कर रही है। ओडिशा में पिछले 18-19 सालों से बीजू जनता दल की सरकार है और मैं यहाँ सदन में, हमारी सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिए किए गए कार्यों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ।

महोदय, ओडिशा में नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में वहाँ की राज्य सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है।

(1M/KLG पर जारी)

KLG-SSS/1M/3.40

श्री दिलीप कुमार तिकी (क्रमागत): भारत सरकार के आंकड़ों से भी यह बात साबित होती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के एम्पावरमेंट की जो बात कही गई है, उस सिलसिले में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मदर्स के लिए ओडिशा सरकार ममता नाम की एक योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस योजना के तहत हरेक प्रेग्नेंट वुमन को 5000/- रुपए दे रहे हैं और इससे लगभग 30 लाख मदर्स को बेनिफिट मिला है। आज ओडिशा सरकार की यह योजना, एमएमआर और आईएमआर में कमी लाने के लिए पूरे देश में एक मॉडल बन गई है। इस योजना के तहत पंचायत में ही सीधे माताओं को राशि उपलब्ध कराई जाती है। इससे पहले ओडिशा में आईएमआर और एमएमआर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज इन दिनों में राष्ट्रीय औसत से ओडिशा का औसत काफी अच्छा है। महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए ओडिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप मिशन शक्ति के रूप में उठाया गया है। इस मिशन के तहत 5 लाख 63 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनके तहत 67 लाख से ज्यादा महिलाएं बेनिफिट पा रही हैं। इतना ही नहीं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक परसेंट की दर से सॉफ्ट लोन भी दिया जा रहा है, जिससे इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी

आगे आ रही है। इसी तरह गरीबी को दूर करने की बात करें, तो नेशनल सर्वे के अनुसार पिछले एक दशक में ओडिशा में गरीबों की संख्या में 24.6 परसेंट की कमी आई है। इसका अर्थ यह है कि पिछले दस सालों के दौरान ओडिशा में 18 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। यह भी हमारी एक उपलब्धि है।

उपसभापति महोदय, जब किसानों की बात आती है, तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर फार्मर्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार 2002 से 2020 के बीच ओडिशा किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य पूरा कर चुका है। इसके साथ ओडिशा में किसानों को एक परसेंट के रेट में क्रॉप लोन देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

(उपसभाध्यक्ष, श्री बसावाराज पाटिल पीठासीन हुए)

महोदय, ओडिशा में चार लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का क्षेत्र बनाया गया है और अगले दो वर्षों में इसमें और 6 लाख हैक्टेयर सिंचाई जमीन जोड़ी जाएगी। इसलिए ओडिशा सरकार के एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारी भारत सरकार द्वारा चार बार कृषि कर्मज पुरस्कार भी दिया गया है। जहां तक फॉरेस्ट लैंड एक्ट के अनुपालन का सवाल है, तो इसमें ओडिशा बाकी सभी राज्यों से आगे है और 31 अक्टूबर, 2017 तक 4.1 लाख इंडिविजुअल राइट होल्डर्स को 6.11 लाख हैक्टेयर जमीन और 5964 कम्युनिटी पैटर्न होल्डर्स को 3.28 लाख

हेक्टेयर भूमि वितरित की जा चुकी है। ये आंकड़े केन्द्र की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में फूडग्रेन्स के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात कही गई है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक समय था, जब 2002-03 में देश के फूडग्रेन्स प्रोक्योरमेंट में ओडिशा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 परसेंट हुआ करता था, लेकिन आज ओडिशा में सरकार की नीति की बदौलत अब ओडिशा फूडग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट के लिहाज से देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और टोटल प्रोक्योरमेंट में ओडिशा का कंट्रीब्यूशन 10.28 परसेंट है।

(1एन/एकेजी पर जारी)

AKG-NBR/1N/3.45

श्री दिलीप कुमार तिकी (क्रमागत) : अगर हम housing की बात करें, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 2014 से अब तक ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में 14 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए गए हैं। इसके अलावा Odisha Urban Housing Mission के तहत शहरी इलाकों में शहरी गरीबों के लिए 60 हजार नए मकान बनाए जाने वाले हैं। Electrification में 25 लाख घरों को बिजली का connection दिया गया है और 7 हजार से ज्यादा गाँवों में बिजली पहुँचाई गई है। ओडिशा सरकार का लक्ष्य है कि 2019 तक हर घर में बिजली

पहुँचाई जाएगी और इस काम के लिए बिजली के 500 से ज्यादा sub-stations बनाने का काम चल रहा है।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पेज नंबर 6 पर freedom movement में देश के ट्राइबल समुदाय के योगदान का उल्लेख किया गया है। इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा कि freedom movement में ओडिशा के ट्राइबल समुदाय ने भी काफी कुर्बानियाँ दी हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ के आमको-सिमको में निर्मल मुंडा के नेतृत्व में 1939 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसमें 49 निर्दोष ट्राइबल्स को अंग्रेजों ने पुलिस फायरिंग में मार दिया था। इसे ओडिशा का जालियाँवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है। इसी तरह ट्राइबल लीडर लक्ष्मण नायक को भी अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए undivided कोरापुट के मंदिरा में फाँसी दे दी थी। इसलिए मैं सरकार से यह माँग करना चाहूँगा कि जब वह ट्राइबल म्यूज़ियम बनाने जा रही है, तो ओडिशा के ट्राइबल्स के योगदान को देखते हुए वहाँ भी एक ट्राइबल म्यूज़ियम बनाया जाए।

महोदय, अगर हम सड़कों की बात करें, तो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार PMGSY लागू करने में ओडिशा देश के सभी राज्यों से आगे है। चालू वर्ष के लिए 7 हजार किलोमीटर के target में 2,911 किलोमीटर का target नवंबर तक पूरा किया जा चुका है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा शहरी इलाकों में एक हजार किलोमीटर से ज्यादा

कच्ची सड़क को पक्का किया गया है। इसके साथ-साथ बीजू सेतु योजना के तहत 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 'खेलो इंडिया' का जिक्र किया गया है। ओडिशा की राज्य सरकार खेलों को, sports को पूरा बढ़ावा दे रही है। वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब, श्री नवीन पटनायक जी की leadership में tribal sports को भी काफी प्राथमिकता दी जा रही है। Sports infrastructure पर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। अभी हाल ही में भुवनेश्वर में Asian Athletics Championship का आयोजन किया गया था, जहाँ 90 दिन में world class stadium बनाया गया। इसमें 45 देशों के athletes/players ने भाग लिया था। जहाँ तक हॉकी की बात है, तो आज ओडिशा हॉकी के global map पर आ चुका है। पिछले साल कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर में World Hockey League Championship का आयोजन किया गया था और यह successful हुआ था। उसके बाद इसी साल भुवनेश्वर में World Cup का आयोजन होने जा रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

महोदय, रोजगार के क्षेत्र में लगभग 5 लाख युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा गया है और 2019 तक 6 लाख और युवाओं को इससे जोड़ने की योजना है। इनमें से 1.5 लाख युवाओं को placement में भी सहायता दी गई है।

(1ओ/एससीएच पर जारी)

SCH-USY/3.50/10

श्री दिलीप कुमार तिर्की (क्रमागत) : पीने के पानी की सप्लाई के लिए 1300 किलोमीटर की एक नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे 10 लाख लोगों को फायदा हो रहा है।

हेल्थ सेक्टर में भी ओडिशा में नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ स्कीमों के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे 'निरामया' स्कीम के तहत 1.3 करोड़ लोगों को फ्री मेडिसिन दी जा रही है। 9 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है और इसके अलावा सभी जिला हॉस्पिटल्स में कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ओडिशा में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य में specially rural areas के बच्चों के लिए 160 आदर्श विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें rural areas के बच्चे CBSE Course के ज़रिए पढ़ाई करेंगे। Higher studies के लिए 1% की दर से education loan दिया जा रहा है, ताकि गरीब पेरेण्ट्स पर बोझ न पड़े।

हमारे यहां की पांच लाख से ज्यादा ट्राइबल लड़कियां सरकारी होस्टल्स में पढ़ाई कर रही हैं। यह संख्या किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले अधिक है। ओडिशा सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि से 19 लाख एससी/एसटी बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रही है।

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

जहां तक श्रमिकों की बात है, तो श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना में 19 लाख से ज्यादा construction workers को रजिस्टर किया गया है और करीब 10 लाख workers को 400 करोड़ रुपये की राशि से सहायता पहुंचाई गई है।

महोदय, इसी प्रकार 8 लाख से ज्यादा केंद्रीय पत्ता तोड़ने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए बीमा करवाया गया है। 100% बोनस के रूप में उन्हें 130 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ओडिशा के काम की दुनिया भर में तारीफ की गई है। खुद संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि साइक्लोन की प्राकृतिक आपदा से निपटने में ओडिशा सरकार की सफलता उल्लेखनीय है।

जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, तो एसोचैम के अनुसार Live Manufacturing Investment आकर्षित करने में ओडिशा का देश के सभी राज्यों में पहला स्थान है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि business reforms लागू करने में ओडिशा काफी आगे है।

महोदय, ओडिशा के निर्यात में भी पिछले कुछ सालों के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है और अब ओडिशा भारत का एक प्रमुख निर्यातक राज्य बन चुका है। वर्ष 2016-17 के दौरान, जहां देश का कुल जीडीपी 7.1 प्रतिशत रहा, वहीं इस अवधि में ओडिशा का जीडीपी 7.94 परसेंट था।

जहां तक महंगाई का सवाल है, तो भारत सरकार के वर्ष 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ओडिशा में देश भर में सबसे कम महंगाई रही है। अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने slum dwellers को land rights देने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है।

इन कदमों से यह बात बिल्कुल साफ है कि ओडिशा सरकार जन-कल्याण और विकास के कार्यों को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है।

(1P/RPM पर जारी)

RPM-PK/1P/3.55

श्री दिलीप कुमार तिकी (क्रमागत): महोदय, आज हमारे सीएम साहब को एक आदर्श और outstanding CM के रूप में दुनिया भर में recognize किया जा रहा है। हमारे देश में federal structure होने के नाते ओडिशा सरकार को अपने प्रयासों में केन्द्र सरकार की ओर से और अधिक सहायता की जरूरत है।

महोदय, अब मैं कुछ वैसे मुद्दे सदन के सामने रखना चाहूंगा, जो ओडिशा सरकार और ओडिशा की जनता से सीधे जुड़े हैं और जिन पर केन्द्र सरकार की पहल की आवश्यकता है। सबसे पहला मुद्दा महानदी विवाद से जुड़ा हुआ है। महानदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केन्द्र सरकार को अविलम्ब एक Inter State Water Tribunal का गठन करना चाहिए, ताकि राज्यों के बीच पानी के विवाद को सुलझाया जा सके। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द इस ट्रिब्यूनल का गठन कर के महानदी विवाद का समाधान निकाला जाए।

महोदय, दूसरा मुद्दा पोलावरम परियोजना का है। हम पोलावरम परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन यह मामला उन लाखों लोगों से जुड़ा है, जो इससे प्रभावित हैं। उनके लिए proper compensation की व्यवस्था के बाद ही इस परियोजना पर आगे काम होना चाहिए। ओडिशा के लगभग 25 हजार परिवार इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए उनकी पब्लिक हियरिंग कर के उन्हें जल्दी से जल्दी उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, भाजपा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय का यह जो अभिभाषण है, उनका आठवां अभिभाषण मैंने सुना। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया और इसकी जो कॉपी वितरित की गई है, यदि आप उसे पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यह पहली बार दिया गया ऐसा अभिभाषण है, जिसके द्वारा जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं, उनकी जो सोच रही है और वे इस देश को जहां ले जाना चाह रहे थे, यह उसके अनुरूप दिया गया है।

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

महोदय, मैं सबसे पहले, अपनी पार्टी की ओर से प्रधान मंत्री जी को तीन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था और इसका जो उद्देश्य था तथा उसमें जो मुद्दे थे, वे शराबबन्दी, दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाना और बाल विवाह के विरोध में खड़े होने के थे। इसके बारे में बिहार की करीब 5 करोड़ जनता सड़कों पर खड़ी हुई और सामाजिक सरोकार के इतने बड़े मुद्दे पर अपना समर्थन दिया और प्रधान मंत्री जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं इसे इसलिए आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि बिहार में वर्ष 2005 के बाद, जब से हमारी सरकार बनी, तब से इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ और जितने भी विकास के अन्य काम किए गए, उनका लाभ हमारे प्रदेश के गरीब लोगों के घरों में ठीक से नहीं पहुंच रहा था।

(1 क्यू/पीएसवी पर जारी)

PSV-PB/1Q/4.00

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत): बिहार की महिलाओं ने, खास करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी महिलाएँ हैं, बिहार में जिनकी संख्या अभी करीब 7 लाख है, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि आप अच्छी सड़कें बना देंगे, रोजगार दे देंगे, लेकिन जब तक हमारे घर में शान्ति नहीं रहेगी, हमारे घर में

लोग शराब पीते रहेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी बातों को सुना और सुनने के बाद इसे लागू किया। यह समझिए कि इसको लागू किये हुए आज 20 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस पर कई तरह के surveys आ चुके हैं। उन सब से यही पता लगता है कि इससे कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएँ होती थीं, उनमें सुधार हुआ है, एक्सिडेंट्स के जितने केसेज़ होते थे, उनमें कमी आयी है।

आप सब सहमत हैं कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, जिसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। आखिर हमारे देश के और हमारी पार्टी के जो आइकॉन हैं- गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, अम्बेडकर साहेब और कर्पूरी जी, इन सब लोगों की यह सोच रही है कि जब तक लोगों के मन में, समाज में शान्ति का माहौल नहीं रहेगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर हमें एक दिन का शासन मिलेगा, तो मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे बिहार में खुशहाली आयी है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ।

महोदय, पहले जिन घरों में लोग, खास कर गरीब लोग, बड़े लोगों को छोड़ दें, शराब पीते थे और उसके साथ जो खाते थे, तो उसमें उनके करीब 200 से 300 रुपये रोज खर्च होते थे, महीने में 6,000 से 9,000 रुपये उनके खर्च हो जाते थे। आज 20 महीने में, अगर आप देखेंगे, तो पायेंगे कि एवरेज़ डेढ़ से दो

लाख रुपये की बचत उनके घरों में हुई है। इसका प्रभाव आपको सामने दिखेगा। बिहार में भी छठ का पर्व होता है, यह आप सब जानते हैं। आप आज जाकर देख लीजिए। पहले क्या होता था? पहले जो कपड़े बच्चे, बच्चियाँ, महिलाएँ, पुरुष, पहनते थे, उनसे आपको पता लग जाता था कि कौन किस समाज का है, किस इनकम ग्रुप का है, लेकिन आपने इस बार देखा होगा, हम लोग तो देखते रहते हैं, तो अब उनके कपड़ों से आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन किस समाज का है। ऐसा इसलिए हुआ है कि उनके जो पैसे बचे हैं, उनमें उन्होंने माचिस नहीं लगायी है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के स्तर को सुधार करने में उनको खर्च किया है। इसका उदाहरण है, जो सर्वे हुआ है। उसे अगर आप देखें, तो पायेंगे कि जो रेडीमेड कपड़े हैं, उनकी बिक्री 45 से 50 परसेंट अधिक बढ़ी है, लोगों ने दूध की जो खपत है, उसे बढ़ाया है, मिठाइयों की खपत बढ़ी है और पहले जो बीमारियाँ होती थीं, उनमें कमी आयी है। तो यह इस बात को दर्शाता है कि इस तरह के कार्यक्रम चलाने से किस तरह का माहौल बनता है। इन्हीं महिलाओं ने फिर कहा कि नीतीश जी, शराबबंदी से तो हमें फायदा हुआ है, अब दहेजबंदी कर दीजिए, तो हमारे यहाँ और भी अच्छा माहौल होगा। इसी को लेकर हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, हमारे पूरे एनडीए ने इसके साथ खड़ा होने का निश्चय लिया है। आज आप देखिए कि बिहार में यह माहौल बन गया है, कानून पहले से बना हुआ है, अपनी पार्टी के जितने भी लोग हैं, हम लोग यह अनुरोध कर रहे हैं कि शादी में आप जो कार्ड छपवाएँ, तो उसमें यह लिखिए कि "यह जो शादी हो

रही है, इसमें किसी भी दहेज का लेन-देन नहीं हुआ है।" साथ ही, बाल विवाह को रोकने के लिए भी हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि कार्ड में आप लिखिए कि "लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है।" इस तरह की जागृति अगर हम लोग पैदा कर देंगे, तो समाज में लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। कानून तो पहले से ही है। कानून अपना काम करेगा। तो इस तरह का काम हमारी सरकार में हो रहा है। इसमें हमारे केन्द्र के सभी लोगों का जो सहयोग है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

दूसरी बात, पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ASEAN के 10 शासनाध्यक्ष यहाँ आये। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। पहले बहुत मुश्किल से एक आते थे। अभी पूरे का पूरा ASEAN आपके साथ था। इसके लिए भी मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अभी वे दावोस में गये थे। पहले भी हमारे देश के प्रधान मंत्री दावोस गये हैं, लेकिन कभी बोलने का अवसर नहीं मिलता था। अभी पहली बार वे गये, वहाँ बोले और किन मुद्दों पर बोले- जो आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है।

(1आर/वीएनके पर जारी)

VNK-SKC/1R/4.05

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत) : इसके लिए भी हम प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप देखिए कि आज पहली बार हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीते हैं, जिसका जिक्र अभिभाषण में भी हुआ

है। हम लोगों ने किसको हराया? हम लोगों ने उस देश को हराया, जो हमारे ऊपर शासन करते थे। उनके साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था। उनको हरा कर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीते हैं। आज विदेश में इस देश की यह जो पूरी की पूरी छवि बनी है.... और आप जानते हैं कि विदेश में छवि ऐसे नहीं बन जाती है, जब तक आपकी डोमेस्टिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक विदेश में आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप घर में मजबूत होंगे, तो बाहर भी आपकी कद्र होगी, बाहर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे।

यहां जो निर्णय लिए गए हैं, उनके चलते आज जो पहचान बनी है, उसी के चलते लोग आज हमारी बात सब जगह सुनते हैं। आप सामने देख लीजिए, जिसकी चर्चा अभिभाषण में भी की गई है और वह यह है कि इसरो के द्वारा सौवां सैटेलाइट छोड़ा गया और एक बार में 104 सैटेलाइट्स छोड़े गए। पहले जब इसरो बनी थी, तो वह किस परिस्थिति में बनी थी? जब कोल्ड वॉर का समय था, कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी ली गई और लोग यह समझते थे कि हिन्दुस्तान में इसरो का जो पूरा का पूरा मॉडल होगा, जिसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, वे लोग इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अभी हाल में इसरो के द्वारा जो सौवें multiple satellites छोड़े गए हैं, उनमें अमेरिका, फ्रांस और कनाडा के भी सैटेलाइट्स थे। यह दर्शाता है कि किस प्रकार इसरो में हमारे साइंटिस्टों ने काम किया है। इसके चलते हमारी पहचान बनी है। अभी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर आए, तो उन्होंने हमारे तेजस प्लेन को उड़ाया। यह दर्शाता है कि पहले हमारे

लोग कटोरा लेकर विदेश जाते थे कि हमको गल्ला चाहिए। आप पीएल-460 और पीएल-480 के समय को याद कीजिए। उस समय अमेरिका आपको किस तरह से डिकटेट करता था, लेकिन आज इस देश में देखिए, हमारे किसानों ने 275 मिलियन टन अनाज, 300 मिलियन टन सब्जी और इसी प्रकार से मछली, दूध, अंडा, शहद आदि का जो उत्पादन किया है, उसकी बदौलत अब हम लोग खाद्यान्न के मामले में किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। अब पहली क्या मांग होती है? मांग यह होती है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको बाहर से नहीं आने देना है, हम उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग करते हैं। हमारे देश के किसानों ने यह जो काम किया है, उसकी बदौलत हमारी जो पहचान बनी है, इसी के चलते आपको आज बाहर लोग इज्जत करते हैं। इस तरह का काम इस देश में हुआ है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किस बात की चर्चा की? उन्होंने अपने अभिभाषण में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा की। देश में आज़ादी मिली, तो इस आज़ादी का अहसास समाज के सभी तबकों को होना चाहिए और जो विकास हुआ है, वह सबके घर के बिल्कुल अंदर पहुंचना चाहिए। मैं तीन-चार बातों का जिक्र करना चाहूंगा, जिनका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। सबसे पहली बात शौचालय के संबंध में है। आप जानते हैं, हमने बताया कि हमारी पार्टी और हम लोगों के पुरोधर लोहिया जी रहे हैं। लोहिया जी क्या कहा करते थे? वे नेहरू जी

से क्या कहा करते थे? ये लोग चले गए, नहीं तो इनको बताते, वे नेहरू जी से कहा करते थे कि आप शौचालय बनवा दीजिए, हम आपका विरोध करना छोड़ देंगे। इनको मौका मिला, इन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया, लेकिन इनको याद ही नहीं रहा कि शौचालय का क्या महत्व है। कल जब लीडर ऑफ दि अपोजिशन बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपने जो शौचालय बनाए हैं, उनमें से 30 प्रतिशत ही काम करने लायक हैं। मानना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कम से कम 30 प्रतिशत तो काम कर रहे हैं, आपकी तो सोच भी नहीं थी। अगर 1947 से काम किया होता, उस समय हमारी आबादी मात्र 36 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 130 करोड़ है, तो वहां शौचालय बन गए होते और शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, बल्कि यह समझना है कि समाज में यह जो गैर-बराबरी है, उसको कम करने का यह एक बहुत बड़ा जरिया है।

(1एस/एनकेआर-एचके पर जारी)

NKR-HK/1S/4.10

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत): पहले शौचालय कहां होते थे - सिर्फ शहरों में, बड़े-बड़े घरों में, जबकि आज गरीब आदमी के घर में भी हैं। इससे उनका जो सेंस ऑफ पज़ेशन है, डिग्निटी है, उन्हें लगता है कि आज मेरे घर में भी शौचालय है। यह एक सामाजिक बदलाव है, जिसे कहते हैं सामाजिक न्याय। देखने में शौचालय बड़ी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोग इसके प्रति आकृष्ट हुए हैं और यह बहुत अच्छी योजना है।

आज बिहार में हमारी सरकार है, एन.डी.ए. की सहयोगी पार्टी की सरकार है। हमारे यहां पहले से 'बिहार नंदन लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम' चल रहा है। अब प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है। इससे हमें नई ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा। इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।

दूसरा कार्यक्रम, जिसके बारे में हमारे उधर के माननीय सदस्य कल बहुत हल्के से बोल रहे थे, वह है 'उज्ज्वला योजना'। इसके तहत हम गरीब लोगों को गैस-कनेक्शन देते हैं। यदि उधर के माननीय सदस्य सुनते, तो उन्हें पता चलता कि जब इन्हें सरकार चलाने का मौका मिला, तो इनकी क्या सोच थी? इन्हें लगता था कि लकड़ी से खाना बनाना, कोयले से खाना बनाना, केरोसिन तेल से खाना बनाना किफायती है, लेकिन इससे जो धुआं उठता है, उससे महिलाओं और बच्चों की सेहत का बड़ा नुकसान होता है। इन्होंने कार्यक्रम चलाया था - 'स्मोकलैस चूल्हा' या धूमरहित चूल्हा। उस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले में अधिकारी के पद पर था। उन दिनों बीस-सूत्री कार्यक्रम का जो रिव्यू होता था, उसमें बताना पड़ता था कि आपके जिले में कितने स्मोकलैस चूल्हे बने? इनकी ऐसी सोच कभी नहीं रही कि गरीब आदमी को भी गैस कनेक्शन मिलना चाहिए। यदि ऐसी सोच उनकी होती, आप याद करें, उस समय हर सांसद के पास गैस कनेक्शन का कोटा होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी इनकी थिंकिंग थी? दूसरी तरफ, इसका इस योजना से आज लाभ हो रहा है। देश के

ग्रामीण अंचल में महिलाओं को लगता है कि उनके पास भी अब गैस का कनेक्शन है, जो पूरे का पूरा स्वच्छ ईंधन है। यह कोई छोटा काम नहीं, बल्कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री जी और केन्द्र के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। इसके तहत 8 करोड़ कनेक्शन देने का आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। जब 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिल जाएगा, तो समाज में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा।

इसके बाद मैं बिजली की तरफ आता हूँ। जब हमारे विपक्ष के साथियों को मौका मिला था, ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में इनकी क्या सोच थी, इस समय वे सदन में मौजूद नहीं हैं, इनका कहना था कि गांव के किसी भी किनारे से अगर कोई तार गुजर जाए, तो मान लिया जाता था कि वह गांव विद्युतीकृत हो चुका है - यह इनके विद्युतीकरण की डेफिनिशन थी। आज आप देखें कि विद्युतीकरण के क्या मानक बनाए गए हैं - शहर में बिजली, देहात में बिजली, गांव में बिजली, घर में बिजली - हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। बिहार में इसके तहत बहुत तेजी से काम चल रहा है। वहां 'सौभाग्य योजना' के तहत 4 करोड़ लोगों को कनेक्शन देना है, हर घर को मुफ्त कनेक्शन देना है। आप सोच सकते हैं कि इससे कितना सामाजिक परिवर्तन आएगा! पहले क्या होता था - बिजली न रहने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, 6-7 बजे के बाद पढ़ नहीं सकते थे। आज

जब बिजली है, तो बच्चे जब तक इच्छा हो, पढ़ते हैं। उनके जितने दूसरे काम हैं, उन्हें भी करते हैं। इसका बहुत अनुकूल प्रभाव समाज पर पड़ा है।

मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जहां देश के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाए जा रहे हैं, गरीब घरों में आप गैस कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, बिहार में जितने हमारे ग्रामीण इलाके हैं, कस्बे हैं, वहां हर घर के पास तक पक्की गली और पक्की नाली की निर्माण किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इस पर भी केन्द्र सरकार को गौर करना चाहिए और पूरे देश के स्तर पर, कम-से-कम 70 साल बाद तो लोग बिना पैर में कीचड़ लगे, अपने घरों में प्रवेश कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा हर घर में शुद्ध पेयजल भी मिलना चाहिए। बिहार में 'हर घर नल जल योजना' है। आप जानते हैं कि देश में पेयजल की कितनी बड़ी समस्या है! कहीं-कहीं गंगा के जल में भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड मिलता है, जिससे लोगों में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जब पाइप से वाटर सप्लाई करते हैं तो लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। यह बहुत अच्छी योजना है, जिसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।

(1T/DS द्वारा जारी)

DS-DPS/4.15/1T

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत) : महोदय, आप किसान के बारे में देखें। किसान के बारे में जो घोषणा की गई है कि उनकी लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया जाएगा, उसमें मेरा एक ही सुझाव होगा कि अब तक की हमारी पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी रही है, वह प्रोडक्शन बेस्ड रही है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और वह एमएसपी से भी लिंकड रही है। इसमें पूरे के पूरे बदलाव की जरूरत है। अब हमें पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी है, उसमें किसान को सेंटर में रखना है कि कैसे प्रति हेक्टेयर किसानों को मिनिमम आमदनी की गारंटी की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो CACP है, जो कि कॉस्ट का निर्धारण करती है, उसका नाम बदला जाए और उसका मैण्डेट भी बदला जाए। उनको बताया जाए कि आज आप सब जगह सब चीजों पर मिनिमम गारंटी देते हैं। आप "मनरेगा" में भी 100 दिनों की मज़दूरी की गारंटी देते हैं और 250 रुपये से 300 रुपये तक देते हैं। इस प्रकार, उनके लिए 25,000 से 30,000 रुपये गारंटेड हैं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं, उनके लिए भी आप मिनिमम वेतन फिक्स करते हैं, तो फिर किसानों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि उनके लिए प्रति हेक्टेयर मिनिमम गारंटी नहीं होनी चाहिए? आप समझ लें कि जब किसान काम करता है, तो वह किसी से कम काम नहीं करता। इसलिए आज हम लोगों का पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ होना चाहिए। एमएसपी के लिए जो फॉर्मूला बना, वह ठीक है, लेकिन

हम लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए कि किसानों को साल भर में प्रति एकड़ कम से कम 20,000 रुपये से 25,000 रुपये की आमदनी की गारंटी कैसे हो, तब जाकर उनको लगेगा कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ...(समय की घंटी)... मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : आपका एक मिनट का समय और है।

कई माननीय सदस्य : सर, इनको बोलने दिया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आठवें साल में हूँ। चूंकि मेरे ऐसे नेता रहे, जिन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए! मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : ठीक है, बोलिए।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह : सर, मैं कल टीवी पर गुलाम नबी आज़ाद जी को सुन रहा था। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और आज भी जो मुद्दा उठा, उसको मैं सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने राज्यपाल के पद की बात उठाई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ये लोग अभी बाहर चले गए हैं, लेकिन ये जहाँ भी हों, सुन लें। इन लोगों को याद करना चाहिए कि 21 मई, 2005 को इन्होंने बिहार में क्या किया था। मैं आपको बता दूँ कि फरवरी, 2005 में बिहार में चुनाव हुए थे, लेकिन वहाँ किसी को मेज़ॉरिटी नहीं मिली थी। वहाँ सरकार नहीं बन पाई थी, प्रयास चल रहे थे। उसी बीच, एक पार्टी में डिवीज़न हुआ और उस पार्टी के लोग समर्थन में आ गए। वहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही थी। उस समय के इनके जो

राज्यपाल थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। वे 21 तारीख की आफ्टरनून में दिल्ली रिपोर्ट भेजते हैं, जिसके बाद दिल्ली में रात में कैबिनेट बैठती है। उस कैबिनेट की बैठक में आधी रात को निर्णय होता है कि वहाँ की असेम्बली को भंग कर दिया जाए। उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी रूस में थे, उनको फैक्स किया गया, वहाँ से उनका आदेश दो घंटे में मँगवाया गया और फिर बिहार विधान सभा को भंग कर दिया गया। अब ये गवर्नर की बात करते हैं! इन्होंने क्या किया था? सर, उसके बाद, कोर्ट ने अक्टूबर में फैसला दिया। उस फैसले को ये पढ़ लें, इनके पास वकील भरे हुए हैं। कोर्ट ने फरवरी में भी फैसला दिया, उसको भी ये पढ़ लें कि उसमें क्या है।

वर्ष 1984 को याद कर लीजिए कि इन्होंने कश्मीर में क्या किया था। ये पढ़ लें, ये सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं। वहाँ लोगों को तोड़ने के लिए किस तरह से आईबी के बैग में रुपये भेजे गए थे? वह किसके पास भेजा जाता था? गवर्नर के पास; और आज इनको मिर्ची लग रही है! यह कोई बात होती है! इसके बाद, इन्होंने कल क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। इनको सरदार पटेल के बारे में बड़ी चिन्ता हो रही है। सरदार पटेल की सन् 1950 में डेथ हो गई। सन् 1952 से चुनाव शुरू हुए, लेकिन वे इनके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाए, अच्छा हुआ। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि सरदार पटेल के साथ इन लोगों ने क्या किया। सन् 1954 में पहली बार यहाँ "भारत रत्न" दिया जाना शुरू हुआ। वह

तीन लोगों को दिया गया, जिनमें सी. राजगोपालाचारी नम्बर वन थे। पटेल साहब का नम्बर कब आया? वर्ष 1991 में, 25वें नम्बर पर और वह भी तब, जब य पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखरजी प्रधान मंत्री थे।

(1यू/एमसीएम पर जारी)

KSK-MCM/4.20/1U

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत) : 1955 में पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने छठे नम्बर पर भारत रत्न पा लिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पा लिया। अब आप आ जाइए 1991 में, पटेल साहब से ऊपर ही 24वें नम्बर पर राजीव गांधी जी ने पा लिया। आपने सरदार पटेल जी को कहां पहुंचा दिया, आपने सोचा ही नहीं कि इनको भी भारत रत्न देना चाहिए। एक समय था जब कौन थे? गांधी, जवाहर लाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी, आपने नहीं दिया उनको। आज आप भूल रहे हैं। हम तो भाजपा के लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि कम से कम 'Run for Unity' तो कराया सरदार पटेल के नाम पर। गुजरात में इनकी बड़ी भारी मूर्ति बन रही है, लेकिन ये क्या कर रहे थे? सरदार पटेल की जब मौत हुई थी, राजेन्द्र बाबू जी के उनके साथ संबंध थे। राजेन्द्र बाबू उनकी मौत पर गए, जिस पर कितनी तकलीफ हुई उस समय के प्रधान मंत्री को। मानवता की पुकार थी, उस समय के प्रधान मंत्री को भी जाना चाहिए था, लेकिन वे गए नहीं। आज आप देख लीजिए कि एक परिवार के तीन-तीन प्रधान मंत्रियों की समाधि यमुना किनारे बनी हुई है। एक तो प्रधान मंत्री नहीं थे, वे सिर्फ एम०पी० थे, उनका भी

स्थल है चौथे नम्बर पर। अब आप शुरू करिए तीनमूर्ति से लेकर, अकबर रोड से लेकर सफदरजंग रोड तक, कितने मेमोरियल बने हुए हैं? सरदार पटेल जिस घर में रहते थे, औरंगजेब रोड पर जाकर पता कर लीजिए कि उनके लिए वहां क्या है, वहां सिर्फ नर्सरी है। यह है सरदार पटेल के बारे में आपकी सोच। मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि आपने सरदार पटेल के लिए इतना अच्छा काम किया है, एक बड़ा मेमोरियल सरदार पटेल के लिए दिल्ली में औरंगजेब रोड पर बनाइए। अगर सरदार पटेल रहते तो आज यह कश्मीर की समस्या नहीं होती। यह जो रोज-रोज आपको तिब्बत में भुगतना पड़ता है, यह नहीं होता। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, ये बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, सरदार पटेल की लास्ट चिट्ठी है....(व्यवधान).....

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : अब समाप्त कीजिए।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह : बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। 7 नवम्बर, 1950 को उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा था कि जो चीन तिब्बत में कर रहा है, उससे सावधान हो जाइए, लेकिन नेहरू जी क्यों पढ़ते? आप जरा समझिए कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज एक कश्मीर नहीं 565 कश्मीर होते। यह सरदार पटेल की देन है। तो बता रहे हैं कि वे याद कर रहे हैं। आज इस बार आप कहां गए थे? गए थे गुजरात और वहां पाटीदारों को कह रहे थे कि हम आपको आरक्षण देंगे। चुनाव खत्म हो गया, वहां अब कहां गए? जा रहे हैं वहां, मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं। उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं।

आपको चर्चा करनी चाहिए और आप क्या चर्चा करेंगे? जब मंडल कमीशन पर आरक्षण लागू किया गया, तो उस समय के प्रधान मंत्री का भाषण सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारा National Commission for Backward Classes है, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई। 2012 में जब Standing Committee on OBCs बना, उसमें पहले दिन प्रस्ताव पारित किया कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कितनी खराब स्थिति रही, क्योंकि 1990 में यह बना....(व्यवधान).....

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कहकशां परवीन : यह इनकी मेडन स्पीच है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : मेडन स्पीच के लिए 15 मिनट होते हैं, वह भी हो गया है। अब आप बैठिए।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह : बस मैं अंतिम बात बता रहा हूं। 1990 में बैकवर्ड कमीशन बना। उसको क्या काम दिया गया था? बैकवर्ड जाति में कौन है, उसको जोड़ने-घटाने का कोई अधिकार नहीं। अगर किसी को शिकायत है तो कहां भेजना है, वह सिर्फ National Commission for Scheduled Castes को भेजता था। बताइए सर, आपने क्या किया? अब यहां पर लाया गया है तो तरह-तरह के विरोध कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने, वहां के जननायक ने 1978 में बैकवर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, जो अति पिछड़े हैं वह Annexure-I में है। पहली बार सरकार ने

एक आयोग बनाया है, जो पिछड़ों में भी अतिपिछड़े हैं, उनको अधिकार देने की बात आ रही है और आजकल यह बात करते हैं पिछड़ों की। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप मुझे अब और समय नहीं दे रहे हैं, केवल एक अंतिम बात है। हम लोग चूंकि एन0डी0ए0 में हैं, मे बार-बार कहते हैं कि साहब, आप लोग बड़े कम्युनल हैं, समाज में polarise कराते हैं।

(1W/SC पर जारी)

GSP-SC/4.25/1W

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत) : मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप याद करिए, 1984 में चुनाव हुआ था और 1985 में शाहबानो का जजमेंट हुआ। उस समय क्या स्थिति थी? इसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि हम लोगों की तुष्टिकरण की नहीं, सशक्तीकरण की नीति होनी चाहिए। उस समय क्या किया गया? उनके लिए तो पूरा का पूरा शाहबानो का अमेंडमेंट 40 दिन के अंदर ला दिया और जो सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला था, उसको रोक दिया। हिन्दुओं के लिए क्या किया? मैं उस समय फैजाबाद के बगल में सुल्तानपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे याद है, 1 फरवरी, 1986 को ताला खोला गया। हमारे विनय कटियार जी बगल में थे। उस समय के डीएम और एसपी से पूछा गया कि अगर ताला खोल देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन यह फैसला हुआ, 40 मिनट के अंदर वह ताला खोल दिया गया। उस समय इतने चैनल्स नहीं

थे, लेकिन उस समय भी उसकी video recording की गयी, दूरदर्शन ने live दिखाया कि देखो, यह ताला खुल रहा है। आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं! किसने उस कार्ड को खेला? उसके बाद हमारे बिहार में भागलपुर में और यूपी में मेरठ में दंगे हुए और उसी issue पर सबसे पहला दंगा हुआ, अमेठी में मुसाफिरखाने में, जहां से उस समय के प्रधान मंत्री थे। इस प्रकार आपको तो जब मौका मिला तो आपने सोचा कि शाहबानो के केस में इस तरह का मामला कर दें और उधर ताला खुलवा दें तो सब खुश हो जाएंगे। एक बार जब आप Pandora's box खोलते हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अगला नाम लूंगा।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह : इसलिए ये जो बार-बार कहते हैं, इसको खत्म करना चाहिए और सब लोगों को मिलकर इस देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिसमें सबका विकास हो सके। यही हमारे राष्ट्रपति जी का कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI SWAPAN DASGUPTA (NOMINATED): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak for, I don't know how many minutes. ...(interruptions)... Okay, 15 minutes; that is extremely generous because normally we, the Nominated Members,

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

are somehow the pariahs of this place, more noted for our absence than our presence, and, I hope, at least, by making some intervention, we can redeem the situation.

Sir, President's speech is a very unique institution. It is an occasion when the Government spells out its achievements, spells out its future programme, and, Sir, it is less a vision of the President and more a vision of the Government. There is also a unique institution called a discussion on the President's speech, which is more about what the President did not say rather than what the President said, and, I think, we have seen a lot of that in this debate. We have seen two very distinct types of narratives which have come out. If some of my friends in the ghost benches are to be believed, India is going through its darkest phase; democracy has collapsed, phones are being trapped; all the schemes are being stolen, at least, if not in content, certainly, in name. If my friend from the Trinamool Congress is to be believed, there is nothing glorious about India. He cited a lot of statistics to show how in the realm of health care, how in the realm of poverty and everything, India is still very much lower.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Now, Sir, there is a lot, we agree, which needs to be done in this country. I think, everybody across all sections of the House will agree that only a beginning has been made in making what might be called a 'New India'. Neither would I spell out much about the programmes that have been made as far as the Government is concerned, some of it is being spelt out in great details, nor am I going to go into what the Mover of this Motion, Shri Amit Shah ji, spoke about how the *janadesh* will necessarily endorse it. Those are matters which will be spoken about, and, those are matters which will be discussed at length in the coming year.

(Contd. By SK/1X)

SK/1X/4.30

SHRI SWAPAN DASGUPTA (contd.): I just want to spell out two things which I think mark out this Government from whatever has happened in the past. The first, Sir, is a very important thing. People talk about jobless growth. I think there is one area of unemployment which is very, very marked, at least, in the city of Delhi, and that is the unemployment of a category of people who used to survive and prosper, who I call '*dalals*'. The *dalali* culture which once defined

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Delhi, which once defined the political system, has been thrown out today. This is not to say that political corruption has ended. This is only to say that today India has made a certain stride forward in actually showing that we too can be law-abiding, we too can be compliant in whatever we do.

Sir, demonetization exercise of November, 2016 was wrongly criticized by many distinguished economists. There were two reasons why they criticized it. The first was that they could find no precedent in this, as it had not been done in the past. That was one of their main criticisms. Wherever it had been done, it had been done in destroyed, war-ravaged economies and not in a normal-functioning economy. The second issue is that this is a disruption, that India was chugging along in one direction and you suddenly put in this great disruption. Now the point about this is that the economists were right but they did not look into one thing that a political economy is not defined by the GDP alone. There is also a factor called 'ethics'. There is also a factor called 'morality'. There is also something called a healthy civic culture. The most important thing about the demonetization which I come to is that for the first time you created a system whereby certain

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

impediments were created, institutional obstacles were created for the generation of what we call black money, the parallel economy. That was what was hit at hardest. Sir, you have a situation where between November, 2016 to now, 1.8 million additional taxpayers have been added for direct taxes. These are the figures which are not being contested. Does it mean people suddenly found oil? Was there a sudden burst of oil economy? Did they suddenly strike gold? Or, was it because you have created an environment where people actually today want to pay tax perhaps because there is a *danda*, perhaps because the tax rates are lower? But it was not there before. Why didn't the economist talk about it then? This Government has actually created a situation where those who paid honestly, can have a sense of relief today because the burden is not going to be on them alone. I think it is that dispersal, it is that widening of the net today which has made it possible for people to actually believe that taxes can be brought down, and this is a very important point, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Your time is eight minutes.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Yes, Sir. I think I can have a couple of minutes more with the degree of generosity on your part.

Sir, therefore, when we talk about 24,800 crores of undisclosed income which has been unearthed, we are talking about a huge thing. We are talking about a re-definition of the larger civic culture. To my mind, this is one of the biggest achievements, and this is a war which has just begun.

(Contd. by YSR/1Y)

YSR-GS/4.35/1Y

SHRI SWAPAN DASGUPTA (CONTD.): If you let go now, you will go back to the old situation. So, it has to be persevered and kept on.

Sir, the second point that I want to make is this. When we were young and used to waste food or we were profligate in our spending, there used to be a saying कि कम्पनी का माल, पानी में डाल। That referred specifically to Government expenditure. इसका कोई माँ-बाप नहीं था। गवर्नमेंट का पैसा चलो, जो मर्जी करो। Today, you have introduced a culture whereby each paisa of the Government is accountable. Why is it, Sir, that we are saying that Rs. 57,000 crore has actually been saved on account of Direct Benefit Transfer (DBT)? Why is it that we are not

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

celebrating the fact that 2.3 crore fake ration cards and three crore fraudulent LPG connections have been unearthed? This is a saving. This is a saving of the people who have paid taxes. It affects everybody. It is not merely about the people who pay income tax. It is also about the people who pay indirect taxes. It is a culture of awareness. I sometimes in the Central Hall talk to some of my ministerial friends who travel overseas. One thing which is marked about them is that how they have been instructed quite firmly, “Don’t spend any nights; where there is a connection, take it.” It is quite taxing on their part. The larger point which I want to emphasise is that we have today a political culture which is growing and I think this is a very healthy trend whereby people’s money is treated as sacrosanct and people are taught that it helps to be compliant and this is helping shape India’s larger image. The image of India as a wasteful place, as a place which’s inherently corrupt..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : धन्यवाद, अब आप समाप्त करिए।

SHRI SWAPAN DASGUPTA: That, at least, is being broken. Thank you very much, Sir, for giving me the time.

(Ends)

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो 45 मिनट का भाषण दिया, वह केवल मातृभाषा हिन्दी में दिया और उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपनी पार्टी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। इससे हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को और भी बढ़ावा मिलेगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में, अपनी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का वर्णन किया। इसके साथ ही साथ, उन्होंने दो विशेष मुद्दे भी उठाए। उनमें से पहला मुद्दा यह है कि भारत में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। दूसरा, जो मुद्दा है, वह तीन तलाक के संबंध में लंबित विधेयक को पास कराने का है।

जहां तक लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात है, तो इस बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। मैं चार साल से राज्य सभा का सदस्य हूं और मैं हर साल देख रहा हूं कि कहीं न कहीं स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। अभी पीछे पंजाब में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और गुजरात में चुनाव हुए तथा इसी साल सात स्टेटों में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि बार-बार चुनाव कराने में देश

का बहुत खर्चा हो जाता है। इसमें हमारे बहुत से संसाधनों और समय की खराबी होती है और इससे हमारा विकास भी प्रभावित हो जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव इकट्ठे हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है और यह देश के हित में भी रहेगा। परन्तु मुझे शंका है कि यह किस प्रकार से हो सकेगा, क्योंकि हमारी विधान सभाओं में बहुत अंतर है, जैसे पिछले साल पंजाब विधान सभा का चुनाव हुआ और अभी गुजरात का चुनाव हुआ।

(HMS/1Z पर जारी)

BHS-HMS/1Z/4.40

श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) : अब गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, तो ये उनको मना लेंगे कि चुनाव इकट्ठे करा दें, परंतु पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, ये उन्हें कैसे मना पाएंगे? हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है। यह हो सकता है, लेकिन इस के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा और मैं समझता हूँ कि अभी से इस बारे में काम करना होगा।

दूसरी बात, तीन तलाक से संबंधित है। मैं इस से सहमत हूँ और यह बिल शीघ्र ही पास होना चाहिए, परंतु इस में चिंता की बात यह है कि तीन तलाक बिल में जो सज़ा का प्रावधान है, उस में शंका यह व्यक्त की जा रही है कि जब उस व्यक्ति को सज़ा होगी, तो उस के परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा? महोदय, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है। यहां कोई भी perfect या पूर्ण नहीं है। अगर कोई पूर्ण है,

तो भगवान है, वाहे गुरु और अल्लाह है। इसलिए अगर इंसान तीन तलाक की गलती करता है, तो उसे एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वह गलती करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ संशोधनों के बाद इस बिल को सरकार जल्दी पास करा सकती है और मेरा इस बिल को पूरा समर्थन रहेगा।

महोदय, जहां तक उपलब्धियों की बात है, मैं इस बात से hundred percent सहमत हूं कि देश ने आजादी से लेकर अब तक बहुत विकास किया है और इस विकास में इस सरकार का भी योगदान है और इस से पहले रही सरकार का भी योगदान रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस विकास के साथ-साथ हमारी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है - स्कूल खोले हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, बड़े कॉलेज खुल रहे हैं और उन में पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, परंतु इस के साथ-साथ चिंता का विषय यह है कि हमारा शिक्षा का स्तर down हो गया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज हमारे विद्यार्थी की सहनशीलता कम होती जा रही है। उस में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और वह हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। पिछले दिनों रेयान स्कूल के एक विद्यार्थी ने अपने ही सहपाठी प्रद्युम्न की हत्या कर दी। इस के बाद पिछले दिनों यमुनानगर में स्वामी विवेकानंद स्कूल है, जिस में 12वीं के विद्यार्थी ने अपनी

महिला प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरा मामला मैं बता रहा हूँ - हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक झांसा गांव के बच्चों में एक किस्म के गलत संस्कार पैदा होते जा रहे हैं। वहां दसवीं की लड़की और बारहवीं कक्षा के लड़के में आपस में प्रेम प्रसंग हो गया और बाद में उन दोनों को मार दिया गया। इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती जा रही है, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा अन्यथा आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा?

महोदय, इस के बाद मैं खेती पर आता हूँ। आज हमारी खेती का बहुत विकास हुआ है। वर्ष 1966 में जब हमारे यहां विदेशों से अनाज मंगाया जाता था, आज सब से ज्यादा हमारा किसान मेहनत करता है। वह सुबह 6 बजे से लेकर रात तक अपने खेतों में मेहनत कर अन्न उत्पादन करता है और सारे देशवासियों का पेट पालता है। हमारे देश के किसान का हरित क्रांति लाने में, श्वेत क्रांति लाने में, पीली और नीली क्रांति लाने में बहुत अहम योगदान रहा है, परंतु आज किसान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है। यह बहुत ही चिंता का विषय है और अगर इस तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी सारी कृषि चौपट हो जाएगी और किसान बरबाद हो जाएगा। फिर जिस प्रकार 1966 में हम बाहर से अनाज मंगवाते थे और वह भी घटिया किस्म का होता था, उसी प्रकार का अनाज हमें विदेश से मंगवाना होगा। महोदय, आज खेती किसान के लिए घाटे का सौदा बन गया है क्योंकि आज खाद महंगी हो गयी है, दवाइयां महंगी हो गयी है, बीज

महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है। इस के अलावा नील गाय भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। इस की तरफ भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, सरकार कहती है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। धन्यवाद, अगर ऐसा हो जाए, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, परंतु आपका आर्थिक सर्वे यह बता रहा है कि पिछले 3 सालों से किसानों की आर्थिक स्थिति stable रही है।

(2 ए/एएससी पर जारी)

ASC- RL/2A/4.45

श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) : वह तो बिल्कुल टिकी हुई है। किसानों की आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं है। अभी सरकार ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य डेढ़ गुना दिया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि सरकार किसानों को डेढ़ गुना मूल्य दे नहीं सकती, तो उस एफिडेविट का क्या होगा? यह भी एक सोचने की बात है। एक चिंता का विषय और भी है। मुझे एक कृषि के डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की बीमारी हमारी फसलों में भी होती है। उसने कहा कि कैंसर की बीमारी मोस्टली टमाटर और भिंडी की फसल में होती है। किसानों को तो पता ही नहीं होता है कि उनमें कैंसर की बीमारी कैसे होती है। सरकार के लिए यह भी एक सोचने का विषय है। जब टमाटर और भिंडी में कैंसर हो गया और जब वह मार्केट में आएगा, जब उसको लोग खाएंगे, तो फिर उनको भी निश्चित रूप से कैंसर हो जाएगा। यह भी एक

चिंता का विषय है, इसलिए सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। इसके ऊपर भी रिसर्च करनी होगी कि किस प्रकार से टमाटर और भिंडी में कैंसर होता है।

आप देखेंगे कि शहरों में बहुत विकास हुआ है और इसी प्रकार यदि हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है। इसका भी बहुत विकास हुआ है, यहां पर बहुत बिल्डिंग्स बनी हैं और बहुत सड़कें बनी हैं, लेकिन जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, तो देखते हैं कि यहां की हवा दूषित है। आज दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। इसके प्रदूषित होने के बहुत से कारण हैं। यहां पर ज्यादा व्हीकल्स हैं, पेड़ों की कटाई है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है, तो हमें यहां पर ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और जो पेड़ लगे हैं, उनको भी बचाना है।

मैंने बंदरों के बारे में पहले भी कहा है कि दिल्ली में बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मैं साउथ एवेन्यु में रहता हूं। वहां पर भी काफी बंदर हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि जब बंदर किसी एमपी को काट लेगा, तो बड़ी परेशानी होगी। यह बहुत ही चिंता का विषय है। वहां पर जितने भी पेड़-पौधे लगे हैं, ये बंदर न तो उनको उगने देते हैं और उनको तोड़कर उजाड़ने का काम करते हैं। हमें हर रोज बंदरों द्वारा तोड़े गए सामान को उठवाने के लिए सामान उठाने वालों को बुलवाना पड़ता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि दिल्ली को बचाना है, तो यहां के प्रदूषण को ठीक करना है और बंदरों ने जो आतंक मचा रखा है,

उसको ठीक करने लिए सोचना पड़ेगा। यदि सरकार ने समय रहते इसके बारे में नहीं सोचा, तो फिर यदि किसी एमपी के साथ कोई बड़ी घटना हो जाएगी, मुझे लगता है तभी सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी।

महोदय, मैं मिलावट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। हमने काफी फ्रूट्स पैदा किए हैं, सब्जियां पैदा की हैं और अनाज भी पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां अनाज भी ज्यादा पैदा हो रहा है, लेकिन जो हमारी खाने-पीने की चीजें हैं, वे सब दूषित हो गई हैं। आज हमारी सब्जियां ठीक नहीं हैं, फल-फ्रूट्स ठीक नहीं हैं और अनाज भी ठीक नहीं है। फसल में दवाई डालना किसान की मजबूरी है। किसान पशुओं के लिए जो बरसीम बोता है, वह आज तक उसमें कभी दवाई नहीं डालता था, परन्तु आज किसान को मजबूरी में पशुओं के चारे में भी दवाई डालनी पड़ती है। जब उस पेस्टिसाइड के चारे को पशु खाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि पशु कैसा दूध देगा। आज हम 60 परसेंट नकली दूध पी रहे हैं। आज दूध की डिमांड ज्यादा है, तो फिर दूध कहां से आएगा? आज हम मजबूरी में नकली दूध पी रहे हैं। आज हमारी सब्जियां भी दूषित हैं। हमारे खेतों में जो अनाज पैदा होता है, अगर उसकी क्वालिटी चेक की जाए, तो हो सकता है यह भी हमारे खाने लायक न हो, लेकिन हम इसको मजबूरी में खा रहे हैं। इसी कारण हमारे देश में आज बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो देश में बीमारियां बढ़ती जाएंगी। फिर तो एक ही इलाज होगा कि देश में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर

लाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाएं, ताकि लोगों का सही से इलाज हो सके। इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, तो ज्यादा पैसा कहां से आएगा, यह चिंता का विषय है।

सरकार ने केन्द्र में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है और उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया है, तो मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह तो ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।

(LP/2B पर जारी)

LP-DC/4.50/2B

श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) : हमें ओबीसी वर्ग में अब राजनैतिक आरक्षण भी चाहिए। किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज के भाग्य का फैसला कहाँ होता है? उसके भाग्य का फैसला या तो पार्लियामेंट में होता है या विधान सभा में होता है। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की विधान सभा में, पार्लियामेंट में मौजूदगी नहीं होगी, तो क्या पिछड़े वर्ग के लोग उठ सकते हैं? उनके भाग्य का फैसला हो, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके साथ-साथ ओबीसी वर्ग को, इस पिछड़े वर्ग को राजनैतिक आरक्षण भी दिया जाए। इसके बिना इनका विकास होना असंभव है। अंत में मैं आपको धन्याद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद-जय भारत।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : आपका भी धन्यवाद कि आपने समय से पहले समाप्त कर दिया। श्री आर.एस. भारती, अनुपस्थित हैं, श्री मेघराज जैन।

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है। संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर का मत था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनैतिक लोकतंत्र अधूरा है। उनकी इसी मूल भावना को पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए स्वच्छता की बात कही। देश में स्वच्छता हो, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया, लेकिन एक दूसरे स्वनाम धन्य नेता ने उसका मज़ाक उड़ाया। यह उनकी आदत है, क्योंकि वे और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हर बात पर मज़ाक उड़ाते हैं। उन्होंने मज़ाक उड़ाया, वे देश भर में भाषण करते फिरे कि प्रधान मंत्री ने क्या किया, देश के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। देश के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी, उन्होंने ऐसा पूरे देश में भाषण दिया, पर देश की जनता ने उनकी, प्रधान मंत्री जी की इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। देश के बड़े-बड़े कलाकार, उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी, किसान, महिलाएँ, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों ने भी उस अभियान को देश में एक आंदोलन का रूप दिया और आज पूरे देश में, आप जिधर भी जाइए, आपको सफाई दिखेगी। यानी लोगों में सफाई के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उनको समझ में आया कि साफ-सफाई रहने से

हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारा वातावरण ठीक होगा, हमारा पर्यावरण ठीक होगा, इसलिए आज देश में सफाई हुई। जो नेता इस तरह की बात करते थे, इस सफाई अभियान के कारण उनकी बोलती बंद हो गई। अभी कल उन्होंने एक भाषण दे दिया कि प्रधान मंत्री की बात को कोई महत्व नहीं देता है। उनको पता है कि इस देश में - कल जैसे पार्टी अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ऐसे नेता हुए हैं, जिनके कहने पर देश में 1 करोड़, 30 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। क्या कोई सब्सिडी छोड़ता है? आदमी एक पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन इतने लोगों ने देश के अंदर अपनी सब्सिडी छोड़ी है। यह इस बात को दर्शाता है कि उस नेता पर उस देश की जनता का कितना विश्वास है, उस नेता के प्रति जनता के मन में कितनी श्रद्धा है कि उनके कहने से उन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन उस नेता का मज़ाक उड़ाया जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि इनकी कोई सुनता नहीं है। आज यह स्थिति बन गई है कि जनता ने जिनको सत्ता से हटा दिया, सत्ता से बाहर होने के बाद उनके अंदर खीज पैदा हो गई है और इसलिए वे किसी भी सही बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने देश में मनरेगा लागू किया, उसके लिए खूब शोर मचाया। उसके लिए बताया कि हमने गरीबों के लिए यह किया है। आपने जरूर किया है, आपने गेंती, फावड़ा उनके हाथ में पकड़ाया और उनसे कहा कि जाओ, मिट्टी खोदो। उनको जो पैसा दिया जाता था, वह भी आधा-अधूरा

पैसा मिलता था। वे खून-पसीना बहाते थे, लेकिन उनको आधा पैसा मिलता था और आधा पैसा बीच में खा जाते थे। आज उनको आधार से लिंक करने से, खाते खोलने से उनको बराबर पैसा मिल रहा है। उनको इसके लिए भी आपत्ति है। इसके लिए बड़े-बड़े वकील कोर्ट्स में जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि साहब, इसको आधार से मत जोड़ो, आधार हमारी निजता खत्म कर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन-सी निजता खत्म हो जाएगी? क्या भ्रष्टाचार की निजता खत्म हो जाएगी? आपकी कौन-सी निजता थी? आपकी कौन-सी गोपनीयता थी? आज जो हज़ारों, करोड़ों रुपये बचे हैं, आप जो यह भ्रष्टाचार करते थे, उससे बचे ये पैसे आज देश के विकास के काम आ रहे हैं।

(2c/klg पर जारी)

KLK-KR/2C/4.55

श्री मेघराज जैन (क्रमागत): आदरणीय आज्ञाद साहब ने कहा कि आप हमारी योजनाओं की रीपैकेजिंग करते हैं। आज वे यहां सदन में नहीं हैं, चले गए, बाहर कहीं सुन रहे होंगे। आदरणीय आज्ञाद साहब, हम रीपैकेजिंग नहीं करते हैं। आपकी योजनाएं थीं, आपने बनाई, उनका ढिंढोरा पीटा, उनका लाभ लिया, चुनाव में जीत गए और बाद में उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। हमने उन योजनाओं को, जो आपकी हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ, हमने उनको पुनर्जीवित किया, उनमें प्राण फूँके, देश में उनको लागू किया और उन योजनाओं के कारण देश में आज लोगों को लाभ मिल रहा है। आज गरीब, दलित, आदिवासी, युवा, महिला

सम्मान से अपने घर में जाते हैं और उन योजनाओं से लाभ प्राप्त करके अपने जीवन का विकास कर रहे हैं।

महोदय, किसानों के लिए कृषि बीमा योजना है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हमने बिना ब्याज के किसानों को ऋण दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने तीन लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देने की योजना बनाई। किसान ऋण लेते हैं, वापस देते हैं और उनको ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। अब अगर किसी ने एक लाख रुपए का ऋण लिया है, तो ब्याज भी मत दो और एक लाख रुपए की जगह नब्बे हजार रुपए जमा कराओ, ऐसी योजना किसानों के लिए लागू की गई है। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना शुरू हुई, जिससे किसान की जमीन सिंचित हुई, उसकी आमदनी बढ़ी है। डेयरी उद्योग, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन से आमदनी और जैविक खेती से खेत में लागत मूल्य कम होने जैसे उपाय किए गए। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश के गरीब, दलित, आदिवासी, युवा, महिला, कृषक और मजदूर की सेवा का ध्यान किया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री जी और उनके सभी साथी जी-जान से जुटे हुए हैं। अब अगर ये लोग विरोध करते हैं, तो क्या करें? खंभा नोच रहे हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत दस करोड़ लोगों ने चार लाख करोड़ का ऋण लिया है, जो उनका स्वीकृत हुआ है। इनमें तीन करोड़ लोगों ने पहली बार ऋण लिया है। हमारे आज्ञाद साहब ने कहा कि 41,000/-रुपए से ज्यादा ऋण मिलता ही नहीं है। आदरणीय, वह कोई माल्या जैसों के लिए योजना नहीं है, यह योजना गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है।

यह उन आदिवासियों के लिए है, उन गरीबों के लिए है, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रह कर काम करते हैं, उनके लिए है। जो टीन-टप्पर ठोकते हैं, जो छोटे-मोटे मैकेनिक होते हैं, जो गाड़ियां सुधारते हैं, उनके लिए यह योजना है। उन गरीब लोगों ने ऋण लिया, क्योंकि छोटे गरीब आदमी को इतना ही ऋण चाहिए। पहले क्या होता था कि वह किसी साहूकार के पास जाता था, उसके पास जाकर दो सौ रुपए, पांच सौ रुपए, हजार रुपए लेकर आता था और उसके बदले साहूकार को इतना देना पड़ता था कि अगर दो सौ रुपए लेकर आया था तो शाम को उसे दो सौ रुपए के साथ बीस रुपए देने पड़ते थे। उसकी जो खून-पसीने की मेहनत थी, वह साहूकार को देनी पड़ती थी। आज उससे वह मुक्त हुआ है। गरीब रिक्शे वाला, ठेले वाला, चाय बनाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, पकोड़े बनाने वाला, इन सब लोगों को इससे ऋण मिला है और इसी प्रकार कई महिलाओं को ऋण मिला है, जिससे वे लोग अपना जीवन-स्तर सुधार रहे हैं। इस पर भी आपत्ति है। अगर पकौड़े बेचना मजदूरी है, तो फिर भीख मांगना भी मजदूरी है। अब भीख मांगना ओर पकौड़े बेचना, एक आदमी कितनी मजबूरी में ऐसा करता है, शायद उनको नहीं मालूम है। एक छोटा आदमी पकोड़े बेचता है, वह रातों-रात तो करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं कर सकेगा, धीरे-धीरे अपना विकास करेगा। रोज समाचार-पत्रों में पढ़ने में आता है कि एक व्यक्ति ने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और धीरे-धीरे आज वह कहां से कहां पहुंच गया है। अब पकोड़े बना कर उसे बेच कर, मूंगफली बेच कर, सब्जी बेच कर, ठेला चला कर,

परिश्रम करके अगर कोई रोज दो-चार सौ रुपए कमाता है और शाम को जब घर जाता है तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े सुख के साथ अपने परिवार के साथ बैठकर अपने परिश्रम की रोटी खाता है, उसको इससे संतोष प्राप्त होता है। वह भी इनको पसंद नहीं है। उसको भीख का दर्जा दे दिया। जो आपने मनरेगा चलाया था, जो मजदूरी करने के लिए लोगों को गेती, फावड़ा दिया था, उसमें उसको दो सौ रुपए मिलते थे, वह क्या भीख थी?

(2डी/एकेजी पर जारी)

AKG-KS/2D/5.00

श्री मेघराज जैन (क्रमागत) : समझ में नहीं आता, वे क्या बोलते हैं! उनके दिमाग में केवल माल्या जैसे बड़े लोग हैं, जिनका दिवाला निकल गया था, उसके बाद भी उनको हजारों करोड़ रुपए का लोन बैंक से दिलाया गया। वे खाकर भाग गए। ऐसे NPA के जितने cases हैं, आप ज़रा उनमें देखिए कि कितना ऋण दिया गया। वह ऋण किनके जमाने में दिया गया? वह NPA हो गया, उनके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हो रही हैं। लोगों की सम्पत्तियाँ जब्त हो रही हैं। लोग जेल जा रहे हैं। लोग पैसा जमा करा रहे हैं। जो पैसा नहीं जमा करा रहे हैं, वे जेल जा रहे हैं। आज यह स्थिति है। इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे आज़ाद साहब ने सरदार पटेल की बात कही। अभी हमारे आदरणीय राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी ने उदाहरण बता

दिया कि अगर सरदार पटेल की बात मान ली होती, सरदार पटेल को सम्मान दिया होता, तो आज कश्मीर की समस्या हमारे सामने नासूर बन कर खड़ी नहीं होती। हमने कश्मीर में अरबों रुपए फूँके हैं, लगातार इतने वर्षों में कश्मीर में हमारे हजारों-लाखों जवान शहीद हुए हैं। यह सब किसके कारण हुआ है? क्या आपके पास इसका जवाब है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका दोषी कौन है? अगर हम नाम ले लें, तो आप एक मिनट में उछल पड़ेंगे। आप हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं। उनकी सोच के कारण आज यह देश तबाह हुआ। उन्होंने तिब्बत की बात कही। राजेन्द्र बाबू ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि तिब्बत पर ध्यान दीजिए, पर नहीं, उस समय तो उन पर पंचशील का नशा चढ़ा हुआ था। तश्तरी में रख कर तिब्बत चीन को दिया गया है। दुनिया समझती है कि बीच में एक बफर स्टेट रहना चाहिए। पर उसको समाप्त करके चीन को हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा किया गया। इसका दोषी कौन है? आज आप डोकलाम की बात करते हैं। उनके एक नेता हैं, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे जहाँ चाहें, कुछ भी बोलते हैं। यह किसके कारण हुआ है? चीन यहाँ तक क्यों आया? आप ज़रा इसके बारे में विचार करिए। आप देश से इसके लिए माफी माँगिए। परन्तु आज वे जो चाहे बोलते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उस अभिभाषण के अन्दर गरीबों की, किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, महिलाओं की बात कही गई है, उनके विकास के लिए कहा गया है। अभी जो

बजट आया है, उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया। पहले उन्होंने कहा कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं है। अगर हम उसके अन्दर बड़े उद्योगपतियों की बात करते, तो उनको बड़ा अच्छा लगता। हम किसानों को subsidy दे रहे हैं। हमने उज्ज्वला योजना के अन्दर महिलाओं को gas connections दिए। हमने गाँव-गाँव के अन्दर शौचालय बनाए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू की गई। जो काम 1952 में होना था, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहला काम होना था, वह यह होना चाहिए था कि गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाता, तो गाँवों से पलायन नहीं होता। गाँव की सब्जियाँ बाजार में आ जातीं, दूध बाजार में आ जाता। लोगों ने इसीलिए दूध का उत्पादन नहीं किया, क्योंकि बाजार में उसे ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। छोटी-छोटी पुलियाँ नहीं थीं, वहाँ नाले थे, लोग जा नहीं सकते थे। लेकिन उस समय यह काम नहीं किया गया। अटल जी के समय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। आज गाँवों का विकास हो रहा है। गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। कस्बों को सड़कों से जोड़ा गया है। आज देश की सड़कें ठीक हुई हैं, आवागमन के साधन बढ़े हैं। देश की यह तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। उनका सोचना है कि हम गरीब की बात क्यों कर रहे हैं। आज तक आपने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन गरीब का विकास नहीं किया। मुझे एक घटना याद है, मैं यहाँ उस घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। 1980 के अन्दर जनता सरकार गिर गई। जब जनता सरकार गिर गई, तो चुनाव हुआ और उस चुनाव में

जनता सरकार हार गई। हमारे एक कांग्रेसी मित्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी समझ में आया कि सरकार कैसे चलाते हैं, आपको सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि आपने लोगों को सभी लाइनों से हटा दिया। घासलेट की लाइन समाप्त, शक्कर की लाइन समाप्त, गेहूँ की लाइन समाप्त, कोयले की लाइन समाप्त। हर चीज की लाइन लगती थी, लोग सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते थे। वे बड़े खुश होते थे कि वे अपनी झोली में दो किलो अनाज लेकर घर आ गए। अगर शक्कर ले कर आ गए, तो बड़े खुश हो कर कहते थे कि मैं शक्कर ले आया। उनको घासलेट मिल गई, तो वे समझते थे कि मुझे मिट्टी का तेल मिल गया। आपने सब लाइनें समाप्त कर दीं। उस समय शक्कर 1.5 रुपए किलो मिलने लग गई थी। वे सब कंट्रोल की दुकानें एक प्रकार से बंद हो गई थीं।

(2ई/एससीएच पर जारी)

SCH-RSS/5.05/2E

श्री मेघराज जैन (क्रमागत) : उन्होंने कहा कि अब इन लोगों के पास कोई काम नहीं रहा है, आदमी बस रोटी खाता है और फालतू बैठा बातें करता रहता है कि चरण सिंह ने क्या किया, मोरारजी ने क्या किया, जगजीवन राम ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, दिन भर चर्चा करता रहता है, जिससे आपके बारे में अब यह विचार बन गया है कि यह सरकार काम की ही नहीं है, इसलिए आपको हटा दिया गया, लेकिन हमने तो इनको लाइन में लगा रखा था, इसलिए इनके पास

सरकार के बारे में विचार करने का मौका ही नहीं था। यह तो इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि गरीब, गरीब ही बना रहे और इनको इसी प्रकार से गरीबों का वोट मिलता रहे। अगर गरीब के पेट में रोटी पहुंच जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, तो पाप बंद हो जाएंगे। "बुभुक्षितं किं न करोति पापं", भूखा आदमी सब प्रकार के पाप करता है और अगर उसको रोटी मिल गई, तो पाप बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग चलने लगेगा, वह पढ़ाई की तरफ सोचने लगेगा, हमारे बारे में सोचने लगेगा, ऐसे में फिर अगली बार हमारी सरकार नहीं आ पाएगी। इस तरह की सोच के कारण इन्होंने कभी गरीब को उठने ही नहीं दिया है।

महोदय, आज जब गरीब की बात होती है, तो इनको लगता है कि यह योजना काहे के लिए है, वह योजना काहे के लिए है और इसमें तो विकास की कोई बात ही नहीं है, आपने केवल किसान का बजट कर दिया। महोदय, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब मैं राजनीति में आया था, तब मैंने पंडित दीनदयाल जी को पढ़ा था। नानाजी देशमुख ने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था - "हर खेत को पानी - हर हाथ को काम"। अगर खेत को पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा, तो किसान तरक्की कैसे करेगा? पहले लोग यूरिया के लिए लड़ते थे, क्योंकि वह ब्लैक में मिलता था, यूरिया के लिए झगड़े होते थे, इसके लिए लाइनें लगती थीं। गांव में यूरिया आ गया, यह सुनते ही लोग दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज वह समस्या समाप्त हो गई है, क्योंकि यूरिया की कालाबाजारी बंद हो गई है। अब नीम कोटेड यूरिया कर

दिया गया है। आज किसानों को जितना भी यूरिया चाहिए, खूब आराम से मिलता है। हम तो इससे भी आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमने नई योजना बनाई है, जिससे उसको यूरिया लेना ही नहीं पड़े। हमारी योजना है कि देश में जैविक कृषि हो, जिससे शुद्ध अनाज पैदा हो।

महोदय, अभी हमारे कश्यप जी बोल रहे थे कि इन रासायनिक कीटनाशकों और खाद के कारण अनाज, दूध, फल, सब्जियां, सब जहरीले हो गए हैं। जैविक कृषि करने से लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, पर्यावरण सुधरेगा, जीव विविधता सुधरेगी और पीने का पानी शुद्ध होगा। आज पीने का पानी शुद्ध नहीं है। ट्यूबवेल्स का पानी जहरीला हो गया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रारम्भिक और छोटा काम है, उस काम को करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। पिछले 70 साल में हमने यह देख लिया है कि देश का विकास नीचे से होगा। ऊपर से देश का विकास नहीं हो सकता है। ऊपर से विकास करने वाली सभी योजनाएं फेल हो गईं, इसलिए विकास होगा तो हमेशा नीचे से होगा, जमीन से होगा। प्रत्येक आदमी, जिसकी बिवाई फटी हुई है, जो सबसे नीचे की पायदान पर खड़ा है, उसी से देश का विकास होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सबसे नीचे की पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की फटी हुई बिवाई को जब तक हम भर नहीं देंगे, जब तक हम उसकी आंखों का आंसू पोंछ नहीं देंगे, तब तक हम समझेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा नारा है - "सबका साथ-सबका विकास"। जाति-

पाति, भाषा, प्रांत, धर्म, सबको छोड़ करके और सबको साथ में ले करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हम सबका एक ही नाता है, भारत हमारी माता है और हम सब इसके बेटे हैं, इसलिए सब प्रकार की सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलें।

महोदय, मैं बड़े गर्व से यह बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने जो भी योजनाएं शुरू कीं, उनमें से एक भी योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। "कन्यादान योजना" के तहत सामूहिक रूप से निकाह किए जा रहे हैं। मुख्य मंत्री स्वयं वहां जाते हैं और प्रत्येक कन्या को 25,000 रुपये का सामान सरकार की तरफ से दिया जाता है। सभी योजनाओं में किसी भी भाषा, प्रांत, जाति या ऊंच-नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हमारी शासन करने की पद्धति इस प्रकार की है कि सबको समान रूप से इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

अगर यह पद्धति सफल हो गई, गरीब आदमी खड़ा हो गया, किसान जाग गया, किसान की गरीबी दूर हो गई, तो समझिए सब सफल हो गया। फिर प्रश्न पूछा गया कि किसान की गरीबी दूर करने के लिए आप अनाज के समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना कैसे करोगे? इसके लिए उनको अनेक प्रकार की सहायता दी जाएगी और दी जा रही है।

महोदय, सिंचाई का रकबा बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 6 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई होती थी। जब हमारी सरकार आई, तो वहां पर अब 40 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई हो रही है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, अब यह 60 लाख हो गई है।

श्री मेघराज जैन : अब यह 60 लाख हो गई है। रीवा के पास बरगी बांध बना दिया गया, लेकिन बांधों में नहरें नहीं बनीं, खाली बांध बने हुए थे।... (समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : मेघराज जैन जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री मेघराज जैन : बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बरगी डैम बन गया और जहां तक वहां के नेता का इलाका था, उस तरफ की नहर बन गई, लेकिन दूसरी तरफ की नहरें बनीं ही नहीं। जब हमारी सरकार आई, तो हमने उन नहरों को बनवाया। आज गांव-गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

(2F/RPM पर जारी)

RPM-KGG/2F/5.10

श्री मेघराज जैन (क्रमागत): उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां गरीब बच्चों, आदिवासियों और हरिजनों के बच्चों, दलित जाति के बच्चों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को सरकार ने लोडिंग रिक्शे दिलाए। मेले लगाकर उन्हें उन रिक्शों की चाबियां दीं। आज वे बच्चे उन रिक्शों के माध्यम से पूरे दिन काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और शाम को बड़ी खुशी से घर जाते हैं।

महोदय, मैं झाबुआ जिले का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं वर्ष 1963 में झाबुआ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक था। वहां

उस समय मैंने देखा कि आदिवासी के सिर पर एक कपड़ा बंधा होता था, कमर में एक धागा रहता था और उसके आगे एक कपड़े की पट्टी लगी होती थी। इसके अलावा उसके हाथ में तीर-कमान होता था। वैसा दृश्य आज आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप आज वहां जाएं, तो आप देखेंगे हर नौजवान के पास मोटरसाइकिल मिलेगी। यदि एक आदिवासी के घर में चार बच्चे हैं, तो उस घर में चार मोटर साइकिलें हैं। आज उनके घर पक्के हैं। उनके बच्चे पढ़े-लिखे हैं। बच्चियां स्कूल जा रही हैं। वहां की सरकार ने बच्चियों को साइकिलें दी हैं, ड्रेस दी है और किताबें दी हैं। इस प्रकार से विकास का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने तय किया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम इस देश का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महोदय, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।

(समाप्त)

PAPERS LAID ON TABLE (Contd.)

SHRI RADHAKRISHNAN P.: Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 24/2018-Customs, dated the 6th February, 2018, seeking to further amend Notification No. 50/2017-Customs dated 30th June, 2017, so as to increase import duty on sugar [Raw sugar, Refined or White sugar, Raw sugar if imported by bulk consumer] under tariff head 1701, from the present 50% to 100% with immediate effect and without an end dated, under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with an Explanatory Memorandum thereon.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 25/2018-Customs, dated the 6th February, 2018, seeking to increase BCD tariff rate on chana (chickpeas), falling under Tariff heading 0713 20 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) from 30% to 40% , under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with an Explanatory Memorandum thereon.

(Ends)

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS — contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Shri B.K. Hariprasad, not present; Shri K.T.S. Tulsi, not present; Shri Sanjay Raut now.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, वे जो पढ़ते हैं, वह कोई उनका व्यक्तिगत विचार नहीं होता है। केन्द्र सरकार द्वारा जो काम भविष्य में करने हैं या हो गए हैं, उनका ब्यौरा होता है और इस प्रकार से केन्द्र सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति महोदय पढ़ते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से जो मुद्दे रखे हैं, उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आम नागरिक का जीवन आसान करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कमजोर वर्गों के लिए सरकार क्या काम कर रही है, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। इस बारे में राष्ट्रपति जी ने विस्तार से अपने भाषण में कहा है। उसी बात को अमित शाह जी भी आगे ले गए। अभी-अभी मैं श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी का भाषण सुन रहा था। आपने बहुत सारे मुद्दे रखे, मैं उनके समर्थन में हूँ। देश में जो रहा है या होने जा रहा है, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बात रखी है।

महोदय, बहुत से विषय ऐसे हैं, जैसे शौचालय हैं, बिजली है, गैस कनेक्शंस हैं, पानी है और विदेश नीति के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी है, लेकिन मेरी पार्टी शिव सेना की जो चिन्ता है, वह खासकर के देश की सीमाओं पर आज जो अशान्ति है, उसके बारे में है। डोकलाम में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है और खासकर के जम्मू-कश्मीर की जो स्थिति है, उस बारे में देश भी गंभीर है और हम सभी को चिन्ता है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो आज आतंकवाद और हिंसा है, उसके लिए सीमा पार से होने वाली घुसपैठ जिम्मेदार है। आज जम्मू-कश्मीर की सीमाएं अशान्त हैं। आज पाकिस्तान एक बार नहीं, बल्कि बार-बार हमारे देश में आतंकवादी हमले कर के घुसपैठ कर रहा है। कल सबसे बड़ा हमला हुआ। हमारी चौकी पर मिसाइल हमला हुआ। आज भी अखबार में इस बारे में कुछ खबर आई है। कल हमारे एक कैप्टेन सहित चार जवान शहीद हुए। कैप्टेन कपिल कुंडू, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी।

(2 जी/पीएसवी पर जारी)

PSV-KLS/2G/5.15

श्री संजय राउत (क्रमागत): 10 फरवरी को उनका जन्म दिन था, लेकिन उसके पहले ही कैप्टन कुंडू शहीद हो गये। मरने से पहले उनका जो सोशल मीडिया पर स्टेटस था, उसमें वे लिखते हैं कि "जिन्दगी लम्बी नहीं, बड़ी होनी चाहिए।" कैप्टन कपिल का मरने से पहले यह स्टेटस रहा। देश के लिए बड़ी जिन्दगी जीने का वादा कैप्टन कपिल ने पूरा किया। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, पीड़ा की भी बात है। वाइस चेयरमैन सर, जीवन तो सभी जीते हैं। हम सभी में से कइयों को तो दीर्घायु भी प्राप्त होती है, लेकिन कम उम्र में बड़ी जिन्दगी जीने का और मातृभूमि का ऋण चुकाने का भाग्य कैप्टन कपिल जैसे गिने-चुने सपूतों को ही मिलता है। हम सब को लम्बी उम्र मिली है, कैप्टन कपिल से भी, इसलिए हम यहाँ लम्बी-लम्बी बातें भी करते हैं, लेकिन जो जीवन कैप्टन

कपिल ने जीया है, ऐसा जीवन जीने के लिए, उस तरह का जीवन अपने बच्चों को जीने देने के लिए असीम साहस की जरूरत होती है। कैप्टन कपिल और उनकी वीर माता के पास वह साहस था और यह देश हमेशा उन वीर माताओं का और वीर पत्नियों का ऋणी रहेगा। लेकिन सवाल यह है, वाइस चेयरमैन सर, कि कब तक हम अपने सामने ऐसे सैकड़ों कपिलों की शहादत होती देखते रहेंगे, हम कब बदला लेंगे और कब पाकिस्तान को सबक सिखायेंगे? पठानकोट और उरी की घटनाओं के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने जरूर किया है, लेकिन बार-बार एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम यहाँ बतायेंगे, बोलेंगे और फिर भी पाकिस्तान खुराफातें करेगा, हमले करेगा? हमारे कार्यकाल में, मैं अब 60-70 साल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देश की जनता ने हमें इसलिए चुन कर भेजा है कि हमें यह सब कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। तीन साल में, चार साल में ऐसे कितने कैप्टन्स, कितने मेजर्स, कर्नल्स और जवान शहीद हुए हैं! हमारे बच्चों की शहादत पर हमें गर्व है, लेकिन अब गर्व की नहीं, बदला लेने की जरूरत है। 4 के बदले 40 और 5 के बदले 50 मारने की बात हमने बहुत बार की है। यह बात सिर्फ हमें आगे लेकर जाने के लिए-- जैसा आपने कहा कि सरदार पटेल अगर होते, तो बहुत से प्रश्न खत्म हो जाते, कश्मीर का प्रश्न नहीं रहता, लेकिन अब मोदी जी हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 4 के बदले 40 और 5 के बदले 50 मारने की बात जो हमने की है, वह पूरी करनी चाहिए।

पाकिस्तान ने कल हमारी चौकी पर मिसाइल हमला किया, मिसाइल दागे। तो हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो शस्त्र हैं, वे क्या हमने राजपथ के ऊपर प्रदर्शन के लिए ही रखे हैं! 26 जनवरी को हम वहाँ बैठते हैं, पूरा विश्व देखता है कि हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं, इतने शस्त्र हैं, तो हमें भी पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैं किसी के ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा। 70 साल के बाद भी हमें यह विश्वास है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा हमारे मन में है, तिरंगा हमारे रग-रग में है, लेकिन इसी तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं और आज तिरंगे के नाम पर हिंसा होती है, गोली चलती है, राजनीति होती है। अगर हमें तिरंगा यात्रा निकालनी है, तो मुम्बई में मत निकालो, दिल्ली में मत निकालो, पटना में मत निकालो, हमें तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत कश्मीर में है, पूंछ में है, राजौरी में है, लाल चौक में है। प्रधान मंत्री जी नेतृत्व करें, पूरा देश उनके नेतृत्व में कश्मीर में तिरंगा यात्रा में शामिल होगा।

वाइस चेयरमैन सर, दुर्भाग्य की दूसरी बात यह है कि कश्मीर में हमारे जवानों के खिलाफ एफआईआर दाखिल हो रहे हैं। जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनको हम गुनाहगार ठहराते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करेंगे? "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे देने वाली हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश होती है, तो हमारे जवानों पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है। अगर यह सब होता है, तो हमारे जवान मूक दर्शक बन कर

खड़े रहेंगे! गोली चलेगी देश की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए, तो हमारे जवानों के खिलाफ अगर एफआईआर दाखिल होता है, तो यह कौन सी राष्ट्रभक्ति है? कश्मीर हमारे हिन्दुस्तान में है और हमारे जवानों को गुनाहगार ठहराया जाता है, तो मुझे लगता है, वाइस चेयरमैन सर, उस बारे में केन्द्र सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और वहाँ की सरकार से सवाल पूछना चाहिए।

(2एच/वीएनके पर जारी)

VNK-SSS/2H/5.20

श्री संजय राउत (क्रमागत) : कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा आज भी अधर में लटका है। कश्मीरी पंडितों को हमारा वादा है कि आप घर वापस जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने कश्मीर में जाएंगे, लेकिन यह नहीं हुआ है, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। पीछे क्या हो गया, आगे क्या होगा, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मैं यह मानता हूँ कि चार साल में राष्ट्र बहुत आगे गया है। इन चार सालों में इस देश में ऐसी बहुत सी बातें हुईं, जो पचास-पचास साल में नहीं होंगी, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा इस देश में है। वह आज का नहीं है। कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, बहुत से नेताओं ने बात की है, तो पकोड़ा रोजगार की बात हुई। देखिए, पकोड़ा रोजगार, यह कोई अपने देश का स्वाभिमान का विषय नहीं है, लेकिन है, अगर हमने इस देश में रोजगार देने की बात की है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है

कि देश में नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, नए उद्योग शामिल होने चाहिए, उनमें बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पकोड़ा रोजगार का जिक्र हुआ है। पकोड़ा रोजगार की तुलना भिखारियों से किया जाना भी गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 के दशक में मुम्बई में हमने लोगों को वड़ा-पाव बेचने के लिए मजबूर किया था। जो बेरोजगार युवा हैं, जो घर में बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि आप ऐसे मत बैठिए, रोजगार के लिए वड़ा-पाव बेचिए। वड़ा-पाव के निर्माता हम हैं, शिव सेना है, बाला साहेब ठाकरे जी हैं। उन्होंने कहा था कि आप वड़ा-पाव बेचिए और रोजगार कमाइए। आज मुम्बई में शिव सेना की छत्रछाया में 5 हजार वड़ा-पाव के ठेले हैं। ये पूरे महाराष्ट्र में हैं और एवरेज 5 हजार से 10 हजार रुपए तक उनकी आमदनी भी है। लेकिन आज उनको क्या तकलीफ है? मुम्बई का वड़ा-पाव पूरे देश और विदेश में फेमस है, लेकिन वड़ा-पाव के जो ठेले होते हैं, municipality वाले, सरकार, पुलिस, कानून उनको सड़क पर बैठने नहीं देते हैं, उनका पूरा ठेला उठा कर लेकर जाते हैं। अगर हम पकोड़ा बेचने की बात करते हैं, तो हम दिल्ली में मुम्बई से 50-100 लोग लेकर आए और हमने उनको कहा कि आप दिल्ली के रास्ते पर पकोड़ा बेचिए, तो क्या सरकार उनको प्रोटेक्शन देगी? अगर पकोड़ा रोजगार की बात है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए, एक कानून बनाइए और ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। आप ऐसे ही हवा में बात मत कीजिए। आज मुम्बई में हो, देश में हो, दिल्ली में हो, आप बताइए, हम 10 हजार

बेरोजगार युवाओं को पकोड़ा, वड़ा-पाव बेचने के लिए officially license दे देंगे, तब यह पकोड़ा रोजगार की बात आगे चलेगी। आपने इसके बारे में बात की, उसके ऊपर वहां से अलग बात होती है, कोई भिखारी कहता है, कोई और कुछ कहता है, यह नहीं होना चाहिए।

महोदय, हम किसानों की बात करते हैं। यह सरकार गरीबों की है, किसानों की है, यह बात प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कही है, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान में खास करके महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में किसान मर रहा है। आज भी मर रहा है। हमारी सरकार है, लेकिन किसान मर रहा है, आत्महत्या हो रही है। 15 दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्रालय में कितना बड़ा हादसा हुआ? धरमा पाटिल नाम का एक किसान था, उसकी उम्र 84 साल थी, वह मंत्रालय में गया और उसने आत्महत्या कर ली। अठावले जी, आपको मालूम होगा कि यह कितना बड़ा इश्यू है। जब 84 साल का किसान आत्महत्या करता है, उसका आक्रोश सुनने के लिए वहां कोई मंत्री नहीं गया, न कोई अधिकारी गया और वह बेचारा मर गया। अगर ऐसी घटना हमारे राज्य में होती है, तो मुझे लगता है कि यह हमें शोभा नहीं देता है। आज भारत दुनिया का छठे नंबर का सबसे अमीर देश बना है। यह सबको मालूम है। किसकी संपत्ति बढ़ी है? यह निजी संपत्ति के मामले में हम छठे नंबर पर हैं। अगर हम सबसे अमीर देश हैं, तो किसान और बेरोजगार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो सरकार चिंतित होती है, लेकिन किसान मरता है, तो सरकार को चिंता नहीं होती है। आज यह जो राजनीति है, वह सरकारें नहीं चलाती हैं, बल्कि यह राजनीति राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं। अपनी पार्टी के विस्तार के लिए वे राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि जब यह बंद होगा, तब देश आगे जाएगा और देश का विस्तार होगा।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का चुनाव एक साथ कराने की बात की है। मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। अगर यह बात देश के हित में है, इससे देश का पैसा बचता है, समय बचता है, तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अगर राजनीतिक फायदे के लिए यह बात होती है, तो इसके लिए सबसे बड़ी डिबेट होनी चाहिए।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो देश, समाज और राष्ट्र को आगे लेकर जाने वाली बात है। मैं इसी बात से अपने भाषण को विराम देता हूँ और फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को धन्यवाद देता हूँ।

(समाप्त)

(2जे/एनकेआर-एनबीआर पर आगे)

-SSS/NBR-NKR/2J/5.25

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri D. Raja. He is absent. Shri Joy Abraham. He is also absent. Shri Ramdas Athawale.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : आदरणीय उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन सामने की पंक्तियों में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ..(व्यवधान).. पीछे तो हैं, लेकिन जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चलती है तो लोकतंत्र में उस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, हंगामा भी होना चाहिए और वॉक-आउट भी होना चाहिए।

श्री उपसभापति : वॉक-आउट होना चाहिए, लेकिन हंगामा नहीं होना चाहिए। ..(व्यवधान)..

श्री रामदास अठावले : जहां वॉक-आउट होना चाहिए, वहीं थोड़ा-बहुत हंगामा भी होना चाहिए।..(व्यवधान).. सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि -

'राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश को दे रहा है विकास की दिशा,
क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी को है गरीबों का कल्याण करने का नशा।

* ने की है पूरे देश की दुर्दशा,

अब एन.डी.ए. सरकार की तरफ है सारे देश को आशा।'

*Expunged as ordered by the Chair.

वैसे जब भी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, हर बार हम उस पर चर्चा करते हैं। हर अभिभाषण में तत्कालीन सरकार अपनी भूमिका रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सरकार ने जिन मुद्दों को इसमें शामिल किया है, उसमें देश के गरीब, महिला, आदिवासी, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक, व्यापारी वर्ग और उद्योगपति आदि सभी का भला करने की भूमिका शामिल है। सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन सब की भूमिका राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में रखी है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात भी कही है। लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव सबसे पहले वर्ष 1952 में हुए थे, जब देश में पहला चुनाव हुआ था। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान बनाकर 26 नवम्बर, 1949 को डा. राजेन्द्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुर्द कर दिया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को देश में लागू किया गया। उसके बाद देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। पहले लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में, इधर के सदस्यों के उधर जाने और उधर के सदस्यों के इधर आ जाने से कुछ समस्या आ गई। समय-समय पर विधान सभाएं dissolve होती रहीं, लोक सभा dissolve होती रही - कभी 13 महीने में, कभी 18 महीने में, कभी 6 महीने में विधान सभाओं में इस तरह की घटनाएं घटती रहीं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो मुद्दा रखा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हों, वह थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसके लिए पूरे देश में आम-सहमति बनानी पड़ेगी।

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ेगा। किसी भी राज्य में 5 साल की अवधि पूरी होने पर ही चुनाव हो सकता है। लोक सभा का चुनाव भी 5 साल बाद ही हो सकता है। पहले वन-थर्ड सदस्यों के टूटने पर परमीशन थी, लेकिन अब टू-थर्ड होने से सदस्यों के इधर से उधर जाने की घटनाओं में कमी आई है। वैसे मैं मानता हूँ कि जहां हवा होती है, उधर जाना चाहिए, लेकिन जहां हवा नहीं, उधर जाने से क्या फायदा? ..(व्यवधान).. जाना भी चाहिए, लेकिन हवा न होने पर वापस भी आ जाना चाहिए। ..(व्यवधान).. इस देश में ऐसा होता रहा है, इसीलिए मैंने कहा।..(व्यवधान).. हवा देखकर जाना चाहिए, मगर वापस भी आ जाना चाहिए। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें आम सहमति बनानी होगी। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर चुनाव में हम नेताओं को अपने क्षेत्र में जाकर भाषण करना पड़ता है, लोगों से कहना पड़ता है कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो।

(2J/DS पर जारी)

DS-USY/5.30/2K

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) : अगर हम एक साथ जाएँगे, तो लोक सभा और विधान सभा का कैंडिडेट अपना प्रचार करेगा। हम उनका प्रचार तो करेंगे ही और कम पैसों में ही चुनाव हो जाएगा, इसलिए इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यह सरकार और नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, दलितों के आरक्षण की सुरक्षा

करने की भूमिका रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा बहस करते हैं कि यह सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बदलेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान कैसे बदल सकता है? कैसे बदलेगा संविधान? कौन बदल सकता है संविधान? अगर संविधान बदलेगा, तो हम सब लोगों को बदल देंगे। संविधान कैसे बदलेगा? संविधान को ये बदल नहीं सकते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने लोक सभा में बताया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वह मेरा धर्मग्रन्थ है। मोदी जी बोल रहे हैं, तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नरेन्द्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद उन्होंने पंतप्रधान पद की जिम्मेदारी ले ली है। वे पहली बार लोक सभा में चुन कर आए। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा, जब वे लोक सभा में पहली बार चुन कर आए और प्रधान मंत्री बन गए। ऐसा कोई आदमी उधर है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई आदमी है, जो पहली बार चुन कर आया हो और प्रधान मंत्री बन गया हो? ठीक है, वे प्रधान मंत्री बन गए हैं, लेकिन यह बात भी ठीक है कि एक बार में ही पूरा कल्याण नहीं होगा, सबको न्याय नहीं मिलेगा। जीएसटी आ गई है और उसका slowly and silently फायदा होगा और नोटबंदी का फायदा भी slowly and silently होगा। गरीबों का भी भला हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें टाइम देने की आवश्यकता है। यह पाँच साल में कैसे हो सकता है? अब 2019 का चुनाव है। राजस्थान में आपने चुनाव जीत लिए

हैं और दो-तीन जगहों पर आपको सफलता मिली है। यह अच्छी बात है, हम आपका अभिनन्दन करते हैं, लेकिन 2019 में आपको हमारा भी अभिनन्दन करना होगा, क्योंकि हम जीतने वाले हैं। हम 2019 में चुनाव जीतेंगे। आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, लेकिन हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी। शिव सेना रहेगी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ... (व्यवधान)... लेकिन, मैं कोशिश करूँगा कि शिव सेना, बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था कि शिव शक्ति और शिव शक्ति इकट्ठी आनी चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जी के प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम, उसको मान्यता देने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम मैंने किया है।

श्री संजय राउत : आप शिव शक्ति के साथ आइए न।

श्री रामदास अठावले : शिव शक्ति के साथ भीम शक्ति? शिव शक्ति का मतलब, शिव सेना एवं बीजेपी और भीम शक्ति का मतलब, आरपीआई। मैं आपके साथ भी हूँ। हम सरकार में इधर भी साथ में हैं और उधर भी साथ में हैं और थोड़ा उल्टा-सीधा बोलना चलता रहता है। लेकिन, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मित्र हैं और लोक सभा में आपको हमारे साथ रहना चाहिए। अगर विधान सभा में भी साथ रहने की इच्छा है, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं अमित शाह साहब से बात करूँगा। हमें एक साथ रहना चाहिए। अगर हम अलग-अलग हो जाएँगे, तो उनका फायदा हो जाएगा। ... (व्यवधान)...

श्री संजय राउत : आपकी लीडरशिप में हो जाएगा।

श्री रामदास अठावले : वह बात नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे। अभी हमारे टीडीपी के साथी भी माँग कर रहे थे। उनको जो चाहिए, वे लोग ले लें। ... (व्यवधान) ... आपको जो चाहिए, ले लो, बाकी जो बचा है, वह सब हमको दे दो। ... (व्यवधान) ... मतलब, आपको आंध्र प्रदेश के लिए जो पैसे चाहिए, वह ले लो। अभी अमरावती नई कैपिटल बनी है और वहाँ तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश दो स्टेट्स बने हैं। तो आंध्र प्रदेश को भी न्याय मिलना चाहिए, तेलंगाना को भी न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र को भी न्याय मिलना चाहिए। महाराष्ट्र अपने देश की आर्थिक कैपिटल है। महाराष्ट्र में झुग्गी-झोंपड़ी में लोग रहते हैं और वहाँ इन सारे नामों की स्कीम्स भी हैं, तो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।

संजय राउत जी ने बताया कि वहाँ हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान वाले हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे सामने चुल्लू-पिल्लू है। मतलब, हम तो टाइगर हैं, लेकिन हमारे सामने पाकिस्तान एकदम छोटा है। लेकिन, पाकिस्तान हमेशा गड़बड़ी करता है। वह हमारे आदमियों को मारता है, चाहे वह कपिल हो अथवा कोई और हो। वह हमेशा हमले कर रहा है। जिस तरह, अटल जी ने बोला था कि एक बार आर-पार की लड़ाई होनी चाहिए, तो एक बार पाकिस्तान के सामने हमें यह ऐलान करना चाहिए कि या तो तुम चुपचाप बैठो, दोस्ती करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन जब एक बार हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे -- तो हमें ऐसा भी करना पड़ेगा कि पाक-व्याप्त कश्मीर को अपने

ताबे में लेना होगा। डिप्टी चेयरमैन सर, पाक-व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए और जब वह आ जाएगा, तो पाकिस्तान को भी अपने ताबे में लेना चाहिए। हमें एक बार यह काम भी करने की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है।

(2एल/एमसीएम पर जारी)

MCM-PK/2L/5.35

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) : मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का यह अभिभाषण है तथा दलितों और सभी गरीब वर्गों को न्याय देने के लिए है। नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा होना चाहिए। उसके लिए हमारी कोशिश है। दलितों पर अत्याचार भी हो रहे हैं, पुणे के पास भीमापुर में दलितों पर हमला हुआ और जगह-जगह पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो सब लोगों को मिलकर दलितों को न्याय देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, हम एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना-पीना भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि समाज में एकता भी पैदा हो रही है, लेकिन कुछ लोग समाज में फूट डालने का काम रहे हैं। इसलिए समाज में दलितों को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। भीमापुर में जिन्होंने इस तरह का अत्याचार किया है, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उनको कठोर सजा होनी

चाहिए। हमारा समाज शांति को मानता है, पीस को मानता है। हम ऐसा कोई संघर्ष करना नहीं चाहते। महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। यह मांग मैंने की है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आरक्षण जाट मांग रहे हैं, पाटीदार मांग रहे हैं। तो मोदी साहब और अमित शाह साहब को तथा हम सब लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो एस0सी0, एस0टी0 या ओ0बी0सी0 में नहीं हैं, ऐसी अन्य जातियाँ हैं, जाट हैं, मराठा हैं, पाटीदार हैं, पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे सब लोगों को भी एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आरक्षण को टच न करके बचे हुए 50 परसेंट में 25 परसेंट आरक्षण अगर उनको दे दिया जाता है तो एक अच्छा कदम हो जाएगा और इनका झगड़ा भी खत्म हो सकता है। दलितों पर अत्याचार का एक कारण यह भी है कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को, सभी पार्टियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। समाज में जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को भी शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर भी निर्णय होने की आवश्यकता है। महिलाओं के आरक्षण का जो बिल पेंडिंग है, महिलाओं को वन थर्ड सीटें मिलनी ही चाहिए। अगर लोकल बॉडीज़ में 50 परसेंट आरक्षण हमने दिया है तो लोक सभा और विधान सभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तीन तलाक का जो बिल है, वह भी पास होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। ओ0बी0सी0 का बिल पेंडिंग है। इसलिए तीन तलाक और ओ0बी0सी0 के बिल को कांग्रेस को

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

सपोर्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस वाले क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन वे कुछ करें या न करें, अब ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो महिलाओं की पूरी वोटिंग हमको मिलेगी, सब मुस्लिम महिलाओं का वोट हमको मिलेगा, आधे मुसलमानों का वोट भी हमको मिलेगा और फिर हमको सब मिलेगा, तो उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ और अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जय भीम, जय भारत!

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Ramdas Athawaleji. Now, Shri Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY : Sir, how many minutes will you give me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many minutes do you want?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, before I start speaking on the subject, I have a point of order, but it may not be counted in the time allotted to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. What is the point of order?

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the point of order is whether the Rules of this august House permit the Members belonging to a particular political party which is partnering with the Treasury Benches, and Members of this political party who are also part of the Cabinet, which has approved the President's Address placed before it, to troop into the well of the House and, then, protest against the President's Address. This is my point of order, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under what rule?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, your goodself is well aware of the rules. I am the juniormost Member and I have only 19 month's experience in this august House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In a democracy, dissent is always possible. Now, you can start.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, you have not.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have every right to dissent at any point of time.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The other thing is propriety. You understand this.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is very unfortunate. This is against the rules. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That you can say. That is a political point.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: If at all Members belonging to that political party want to protest, the Members of that political party, who are also part of the Cabinet, should first resign from the Cabinet in view of the collective responsibility of the Cabinet and then they should protest against the President's Address.

(Followed by PB/2m)

PB-SC/2M/5.40

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you, it is only a question of propriety. Now, you can start.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Thank you. Sir, my time starts now. How much time can you give me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You take 15 minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay. Thank you very much, Sir.

Sir, the Presidential Address does not mention the grant of special category status to the residuary State of Andhra Pradesh and I would like to explain the facts to your goodself. The then hon. Prime

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Minister of this country on 20th February, 2014 had assured on the floor of this august House that the special category status would be granted. Though it is not incorporated in Andhra Pradesh Reorganization Act, it is an assurance that has been given by the then hon. Prime Minister which has not been adhered to. Sir, when a promise has been made on the floor of the House and if it is not adhered to, then the only option that we have is that the matter would be referred to the Committee of Assurances and the outcome of the Assurances Committee -- probably you will be aware; I don't know, Sir -- and recommendations to be implemented, the consequences/ repercussions and all that. This is one issue.

The second point is, the Union Cabinet on 3rd March, 2014 had taken a decision to grant the special category status to the residuary State of Andhra Pradesh and decided that the matter be referred to the then existing Planning Commission. Sir, whether the matter had to be referred to the Planning Commission or not, it was the prerogative of the Government. It was not mandatory. It was well within the purview and jurisdiction of the Government of India to grant the special category status and the Union Cabinet, on its own, would have

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

granted the special category status even without referring it to the Planning Commission by way of Executive Order. Sir, in fact, the Bharatiya Janata Party, which is ruling now, had included this in their Manifesto in 2014 and it is part of their Manifesto. Sir, why are we clamoring for special category status? It is not merely for the sake of asking 'special category status' that we are asking it. Sir, when the State was divided, when the Congress Party had decided unilaterally and damaged the interest of the people of Andhra Pradesh, it was the decision taken then, and in the light of the fact that the Capital of Hyderabad was going to Telangana ...

Sir, I get disturbed when somebody talks.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: I request the hon. Members to maintain silence if it is possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody is talking. There is silence.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, Hyderabad, which was the Capital of composite Andhra Pradesh, had the film industry there, had the software industry there, had the majority of the public sector undertakings; and the software industry had an annual turnover of

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

approximately Rs. 80,000 crores. All these institutions have gone to Telangana and the residual part of Andhra Pradesh has been left as an agrarian State. Therefore, the special category status to this residual State of Andhra Pradesh was imminent and necessary for the development of Andhra Pradesh, in order to have development of the State of Andhra Pradesh on par with the neighbouring States and other States of this country. That was the reason why this special category status has been asked for.

(Contd. by 2n/SKC)

SKC/2N/5.45

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (contd.): Sir, the hon. Finance Minister, while making a reply on this issue, has pointed out several times that the Fourteenth Finance Commission has prohibited granting of Special Category Status to any of the States after the Planning Commission was abolished. This is the reply that he had given, but that is not so. I have gone through the Fourteenth Finance Commission Report and, to the best of my knowledge, nowhere has the Report stated that Special Category Status should not be given to any State. In fact, they have no jurisdiction in this matter. They have not dealt with this matter at all.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

The Fourteenth Finance Commission has not made any distinction between the Special Category States and other States insofar as devolution of funds in respect of revenue deficit is concerned. This is what they have stated. Nowhere have they stated that Special Category Status should not be granted to any of the States. Further, I would like to point out in this august House that the Finance Commission's recommendations can only be recommendatory in nature and those cannot be binding on the Government. Therefore, Government taking a stand and giving the reason that the Fourteenth Finance Commission has prohibited the granting of Special Category Status to the residuary State of Andhra Pradesh is totally unwarranted and unbelievable, and not tenable in law.

Sir, coming to the second issue in the Re-organization Act, the President's Address does not mention anything about this. Now, that was a promise made by the then hon. Prime Minister on the floor of this House; this is what has been incorporated in the Act -- the Fifteenth Lok Sabha had passed it, the Rajya Sabha had also passed it, and it is part of the law -- and, it has been categorically stated in Schedule XIII of the Andhra Pradesh Re-organization Act that a

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

separate Railway Zone, with Visakhapatnam as its headquarters, would be granted and would be constituted. Sir, four years have gone after the enactment was made. What happened to the provisions? Is it not the responsibility of the Government to implement the provisions of the Act? This is the question that I wanted to be answered.

Sir, similarly, insofar as other issues are concerned, in the Act itself it has been categorically stated that a steel plant would be set up in Cuddapah district of Andhra Pradesh. It has not been implemented, and there is nothing about it; there is no mention about it so far. In the same Schedule, it has further been stated that a sea port would be constructed at Durgarajapatnam, close to Chennai, on the Andhra Pradesh-Tamil Nadu border.

Similarly, it has been stipulated in the Act that a petro-chemical complex would be constructed in Visakhapatnam. There is nothing, and there is no mention about it. Four years are over. Then, there is the Vizag-Chennai Industrial Corridor that has been promised in the Act, and it has not been implemented so far.

Sir, apart from this, the last item, which is also very important, is that the Act also provided that a metro rail project would be considered

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

and constructed, both at Visakhapatnam as well as on the Vijaywada-Guntur-Tenali route. What happened to that?

Sir, if the provisions of a particular Act are not implemented, where should we go, whom should we ask? So, this is the status insofar as the implementation of the Andhra Pradesh Re-organization Act is concerned. Insofar as the Polavaram Dam is concerned, sub-Section(iv), Section 90 of the Andhra Pradesh Re-organization Act is very clear that it would be implemented by the Central Government and also the cost would be borne by the Central Government. In fact, subsequently, there was a proposal that post-2014 increase in the prices should be absorbed by the State. This was the proposal that was mooted. Of course, it is not tenable and, as per the Act, it is the responsibility of the Central Government to complete the Polavaram Project, whatever be the project cost. Whether it is pre-2014 prices or post-2014 prices, it does not make any difference.

(CONTD. BY HK/20)

HK/20/5.50

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): Sir, further it has been assured ...(Interruptions)... Sir, warn me three or four minutes in advance so that I can conclude it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given you fifteen minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, in the same Andhra Pradesh Reorganisation Act, it has been categorically stated that seven districts in Andhra Pradesh have been identified as backward districts -- Vishakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam and, on this Rayalaseema side, Cuddaph, Kurnool, Chittoor and Anantapur. For these seven backward districts, a package has been announced and the Package would be similar to that of Bundelkhand Special Package in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and that of Koraput-Bolangir-Kalahandi. This is the Package which has been stipulated in the Act. I have gone through the Package that has been announced and that has been given to the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, where the Government of India has spent for both the packages approximately Rs.5,376 crore. In terms of the provision of this Andhra Pradesh Reorganisation Act, for the seven districts, which have been

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

declared as backward districts, the total amount that has been given so far is only Rs.50 crore per district per year. It means it is Rs.50 crore multiplied by seven and for the last three years, Rs.350 crore multiplied by three, it comes to approximately Rs.1,000 crore. If the same Package that is similar to Koraput-Bolangir-Kalahandi is to be implemented, the total amount to be given for this particular Package should be more than Rs.5,000 crore. (Time-bell) Sir, I will take two more minutes.

Sir, I would like to bring to your notice one very important issue. Sir, let me be very frank in saying that the hon. Members of the Congress Party while participating in the Motion of Thanks for the Presidential Address have referred to the interference by the Government in the working of the investigating agencies like CBI, ED and Income Tax. I have no hesitation in saying that it is the Congress Party which has nurtured, which has articulated and which has established a very bad precedent of interfering in the working of these investigating agencies. I fondly hope that the successive Governments would not follow the bad precedent which has been set up. In fact, my party President and the President of Bharatiya Janata Party also

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

are the victims of the interference in these investigating agencies by the Congress Party during their UPA regime. (Time-bell) Sir, I am leaving all other points; I am coming to the last point.

(MR. CHAIRMAN in the Chair)

Sir, the Central Government and also many State Governments have been introducing welfare schemes for various people belonging to various castes, various communities, various regions and locations and professions which is really laudable because these welfare schemes take care of the interest of these classes of people. Sir, I would like to suggest one solution. The only solution that I can suggest is to provide basic income to every person below the poverty line, the poor and downtrodden of this country, irrespective of caste and creed.

(Contd. by DPS/2P)

DPS/HMS/2P/5.55

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): Sir, as Economic Survey, 2017, suggested, we should use the already existing infrastructure like Aadhaar-linked accounts and pre-determined basic amount to every BPL family. Sir, to say precisely, I suggest to the Government of India, I suggest to the ruling dispensation to implement universal basic

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

income scheme to every person who is below the poverty line and who is poor and down-trodden and deprived class of this country. After all, Sir, in case the universal basic income scheme is to be implemented, probably, the hon. Finance Minister is well aware that it will cost only 4 to 5 per cent of the GDP which is not phenomenally high, which this country can really absorb and afford to give. I am very much thankful to you, Sir, for the opportunity you have given.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have some observations to make and I would like to appeal to all the Members, who are present and not present, to take notice of what I am saying. From the day I have assumed the Office of Chairman of this august House, I have made it clear that any issue sought to be raised by any Member of the House, will be allowed to be raised provided proper notice is given and it is as per the rules. I have reasons to believe that no hon. Member would have any grouse in this regard. I am deeply concerned with the negative public perception of this august House on account of forced adjournments and that too quite frequently over the years which frequently follows a pattern, a pattern aimed at not allowing the House

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

to function smoothly, come what may. Ever since I started Chairing the proceedings of this House, leaders of several parties have conveyed their anguish to me, over how they are being deprived of their right to raise some of their concerns as some parties are strategically for disruptions leading to forced adjournment. I have shared this with floor leaders on many occasions. Many Members from back-benches, -- some of them are here, some of them are not there -- met me and told me, "Sir, after the main parties speak, they don't allow the House to function. Then we are deprived of an opportunity to put forth our point of view". That has really made me to seriously think that we must also find out a way.

Secondly, regarding the pattern of disruptions, I would like to share with the hon. Members that I have admitted a total of forty-two Zero Hour submissions during the last three working days - 2nd, 5th and 6th of this month. Who is to be held responsible for denying forty-one Members of their right to bring their concerns to the notice of this august House and to the Government? Even yesterday, the entire House saw in the Zero Hour, when I started taking up Zero Hour, there were disruptions. As insisted by the Member who had given notice, I

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

allowed the hon. Member to make his submission in the Zero Hour. He tried his best but his voice was not allowed to be heard. Who is responsible for the same? So, in that way, we have also given a trial that we call the Members, give some time and meanwhile, the message goes to the country. I need not explain as to what is happening to the image of this august House.

Another aspect of this pattern is that first the Zero Hour is disrupted and then even the Question Hour, the time when Members get an opportunity to question the Government, is also disrupted. The Question Hour belongs to the Members. They do a lot of work and then raise questions and the Government also collects information after so much effort. If the Question Hour is lost, then it is a loss to the House and it is a loss to the country. And there have been umpteen occasions -- I don't want to get into those details -- when the Question Hour was not allowed to be taken up in the House.

Another aspect is that on many occasions, once the House gets adjourned several times between 11.00 AM and 1.00 PM, in this era of

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

TV explosions, such frequent adjournments are adversely impacting the image and credibility of this House. This is where I am concerned.

(Contd. by 2Q - KSK)

KSK/ASC/6.00/2Q

MR. CHAIRMAN (CONTD.): In this backdrop, I thought that it would be better to adjourn the House for a longer period instead of resorting to frequent adjournments, that too when it becomes evident that some sections of the House are bent on not allowing smooth conduct of the House. I can tell you frankly some of them come to me and also tell me openly, “Sir, today, please don’t misunderstand us.” I don’t want to name the parties. I have everything with me, including today, including yesterday. Then, when I know that the House is not going to be allowed to function, when people are going to create scenes, I thought that it would be in the interest of the House to see that such unruly scenes are not witnessed by the public. That is where I am concerned. There may be difference of opinion. Some people are saying, “No, Sir, it is democracy. Let these unruly scenes and all this behaviour also go on record. Let the people see and then let them decide.” That can be one point of view. I don’t differ with that. But I

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

have my own strong view, being in this House for years together and being in public life, that the image of the Parliament, the image of the other institutions has to be kept intact and it has to be raised. And, we have great Parliamentarians who have contributed their might to the country by meaningful debates in this House and also in the other House. So, I am very much concerned on that personally. Some of you, who have been discussing with me, also know as to what my concern is. My concern is confined not to the Parliament or Rajya Sabha alone. When I go to public functions also, I open up my mind and also tell the people that this should not happen; not about Rajya Sabha, even about other House because the Assemblies, the Municipalities, the Zila Parishads and the local bodies look up to the top institutions - the Parliament (Rajya Sabha, Lok Sabha) and other institutions.

So, we should not allow the image to go down. We have seen yesterday one observation made by one of the Judges of the Supreme Court with regard to what is happening in the Supreme Court. I don't want to recall that. So, that being the case, the idea is to protect the image and stature of the Parliament. So, my intention in adjourning it

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

for a longer period is that I want everybody to understand the seriousness and also the concern of mine. Today morning, I shared my concern with the Deputy Chairman and also with some of the floor leaders who were there in my Chamber. I urged the leaders to ensure smooth conduct of proceedings. I also told the leaders that if House proceedings were disrupted at the start, I would be left with no option but to adjourn the House till lunch. I made that very clear. My intention in doing so is to promote a sense of collective responsibility in minimizing or doing away with such forced frequent disruptions. When Members and parties realise that they would ultimately be the losers of such disruptions and adjournments, they would like to talk to each other and enable better functioning of the House. I realise some hon. Members have, perhaps, not properly understood my concerns and anguish over the functioning of this House.

I would like to reiterate again that it would be my commitment to allow any issue to be raised by anybody as per the rules. I have the weakness and the commitment to the rules, to the procedures, to keep the dignity of this House, and I am keen that I should stick to that. It is my commitment to allow any issue to be raised by anybody as per the

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

rules and procedures. Nobody should have any misgivings about that. About the Zero Hour submissions, which come to me, some of them are not even within the purview of the Central Government, some are concerned with the State Governments, but, I think, okay, if a Member wants to raise it, let it be raised. Sometimes, as you know, I used to insist upon Ministers also to respond, though in Zero Hour, there is no such responsibility on the part of the Government to respond immediately. They can send it later.

Now, why I am sharing this is, I am told that some Members have gone out and expressed their views. I don't want to join issue with them because as the Chairman, that is not for me to do, but I thought it is my responsibility to share with the country, to share with the Members, what is happening here. We should all see to it that the House functions effectively, the House functions constructively. For protests, there is a forum of protests and also criticism. We have seen yesterday how people spoke on President's Address from this side and from that side. Very eloquent speeches were made. Very strong criticisms were made. I have nothing to lose, nothing to choose this way or that way. I only want the House to function and also function as

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

per Parliamentary conditions and traditions. That is why, I want to make this very clear on the floor of the House.

Hon. Members, now, I would like to call Mr. La Ganesan.

(Ends)

(Followed by 2R - GSP)

Pp 154 onwards will be issued as supplement.

GSP-LP/2R/6.05

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS – contd.

श्री ला. गणेशन (मध्य प्रदेश) : मान्यवर सभापति जी, I am very happy to speak on the Motion of Thanks on the President's Address initiated by the national President of my party, the BJP.

Sir, if you allow me to say a few words in continuation of your observations...

MR. CHAIRMAN: No, no. Please do not join the issue on that. Please confine to the Motion of Thanks on the President's Address.

SHRI LA. GANESAN: Let me speak only one sentence. My experience of more than one year is that the Members who are sitting in the back benches get opportunity to speak only in the Zero Hour while the Members, who are the leaders of the Groups, sitting in the front rows, heroes -- in your style, if a comment is made -- they want to make the Zero Hour into 'Hero Hour'. So, that is why, Sir, whatever you said, I am one with you; the entire House is also one with you.

Now, I come to the Motion of Thanks on the President's Address. Sir, yesterday, I was surprised to hear one hon. Member from the opposite side, who said that the Jan Dhan Yojana is not a new

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

one. यह नई नहीं है। हमारे समय में यह कल भी थी, लेकिन आपने केवल नामांतरण किया है। उन्होंने यह बताया है। यह कैसे है? They have to just verify what was the number at that time. इतने गुना हो तो, बड़ा हो गया। Nearly thirty-one crore bank accounts have been opened, and, especially, for the *mahilas*, SBI accounts have been opened, and, from 28 per cent, it has come to 40 per cent. वास्तव में यह नामांतरण नहीं है, वास्तव में यह जो आपकी योजना थी, वह केवल नाम के वास्ते थी। यह केवल नाम के वास्ते थी, इसलिए हमारी सरकार के आने के बाद इस योजना को बदलकर, ठीक करके काम के वास्ते किया है, इसलिए यह फर्क है। So, the increase should be noted.

One of our hon. Members from the TDP, I hope so, observed that simply opening of accounts is not sufficient. The financial assistance should be given to those bank account holders. What I want to tell the hon. Member is that if you really observe the purpose of the scheme, only for that purpose, it has been started. I can tell you many things but, I would like to speak in short. Sir, one sentence of our former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, is quoted several times. In those days, he said, if I send 100 rupees to the beneficiaries, only 15 rupees reach them. मान्यवर सदस्य ने अभी बोला कि आधा-आधा है। आधा

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

पैसा उधर, आधा पैसा इधर निकलता है, लेकिन आधा पैसा नहीं, Rajiv Gandhi himself told that only fifteen per cent reach the beneficiaries. Sir, if tomorrow, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, wants to use the same sentence, what will he say? He will say, if I send 100 rupees to the beneficiaries, and, withdraw करने के लिए अगर लेट होते हैं तो उनके लिए 115 रुपये मिलेंगे। यह फर्क है। आपके काल में अगर सौ रुपये देते हैं, तो केवल 15 पैसे मिलेंगे, लेकिन हमारे नरेन्द्र मोदी जी के काल में सौ रुपये देते हैं, तो 115 रुपये मिलेंगे। यह जन-धन योजना में फर्क है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ।

महोदय, एक और दूसरा विषय है। कल एक माननीय सदस्य ने हमारे मान्यवर मंत्री के बारे में एक कमेंट किया है। उन्होंने उनके प्रांत में जाने की बात का एक विषय बताया है, आपको याद करना चाहिए, I want to remind the hon. Members that the Ministers have to play a dual role. They, particularly, the Lok Sabha Members, are elected by the people in their particular constituency. So, naturally, in the interest of the people, they have to say something in their prowess. You can only question a Minister only if he takes an action and it was partial. He should be impartial. Suppose, partially, he is supporting his own persons, then,

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

you can question him. बोलने के लिए आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बोलना उचित नहीं है। I do not want to go into it.

One other hon. Member said that the hon. President has mentioned, वसुधैव कुटुम्बकम्।

(Contd. By SK/2S)

SK-KLG/2S/6.10

SHRI LA. GANESAN (contd.): But what happens, you know. What is your attitude about Rohingyas? These are the questions. वैसे सब वसुधैव कुटुम्बकम् का पालन करते हैं। अभी से ही नहीं, बल्कि बहुत विशाल काल से, जबसे इस राष्ट्र का जन्म हुआ है, तब से इस वसुधैव कुटुम्बकम् का पालन कर रहे हैं। Now, about Rohingyas, I just want to quote an example. There was an elephant. There was a procession and unfortunately the elephant got mad. जो एलीफैंट को चलाने वाला है, उसको पागल करता है, कंट्रोलिंग पर्सन, महावत, he shouts at the people. तमिल लोगों में ऐसा है, जब ऐसा करते हैं, तो कहते हैं कि मैड हो गया, चलो, लेकिन एक व्यक्ति बता देगा कि अभी-अभी मेरे गुरु ने बताया है कि यह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ और इसलिए यह हाथी भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। अगर वह मैड हो गया, तो क्या हो गया?

MR. CHAIRMAN: Mr. Ganesan, you need not address them. You address straight the Chair.

श्री ला. गणेशन: सर, पब्लिक मीटिंग में बोलते-बोलते आदत हो गई है, इसको करेक्ट करना मुश्किल है।

श्री सभापति: यह पब्लिक मीटिंग नहीं है।

श्री ला. गणेशन: इसलिए सब में आत्मा है, लेकिन किसी खुशी के कार्य में क्या मृत्यु का आगमन होगा? वसुधैव कुटुम्बकम् को तो राष्ट्र मानेगा, बीजेपी पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, जो भी सत्ता में आती है, वह राष्ट्र की भावना होती है, लेकिन रोहिंग्या के बारे में, we have to be very cautious. So, that is the important thing. That is why even the President of India, in his Address, mentioned about that. And, some people, instead of going into the merit of the speech of the President, are unnecessarily talking about our hon. Prime Minister. " ये क्या करते हैं? बोलते हैं, बार-बार बोलते हैं! Modiji speaks, speaks and speaks." Yes, we are very proud about it. We have got a Prime Minister who can very, very effectively contribute, who can present his point. अपमान करने के लिए मैं जिरह नहीं करता हूँ, अपने देश के कुछ प्रधान मंत्री थे, बोलते ही नहीं थे। ऐसे प्रधान मंत्री को 12 भाषाओं का ज्ञान, लेकिन बोलते ही नहीं। नहीं बोलते, तो इतनी भाषाओं के ज्ञान का क्या उपयोग है? हमारे प्रधान मंत्री बोलते हैं, विश्व में बोलते हैं, पूरे देश में

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

बोलते हैं, चुनाव के समय बोलते हैं, इसलिए we should be very happy that we have got a Prime Minister who can articulate things in an effective manner.

I support what hon. Member, Shri T.K. Rangarajan, has mentioned during his speech that *Thirukkural* should be made national text. तिरुवल्लुवर न केवल राष्ट्रकवि हैं, विश्व कवि हैं। हमारे सुब्रमण्य भारती राष्ट्रकवि हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देश की एकता और अखंडता को बुद्धि से नहीं समझना है, हृदय में अनुभव करना है, पूरे देश के लोगों को हृदय से अनुभव करना है। On December 11th, I was in Delhi. I really felt very sad that there was neither the picture of Subramania Bharati nor Thiruvalluvar. So, whatever my colleague from Tamil Nadu demanded yesterday is the right thing. I have mentioned about this during Question Hour also. Even then, nothing has been done. Here also, I want to reiterate my point of view and support him.

Somebody quoted reports that India is at a low level in the World Happiness Index. What is the criteria for measuring happiness? That is most important. I don't want to go into the details of that. That way, *Bharat* is the happiest country in the whole world, I can say. Happiness is actually reflected आपको अच्छी तरह से नींद आती है, तो आप

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

हैप्पी हैं। भारत में सब लोगों को, भूखे होने बाद भी नींद आती है, लेकिन विदेश में, for example, U.S., people have to take some tablets for going to sleep. So, what is the criteria for happiness? That is most important.

Now, some people say secularism is the tradition of our country as if the present Government is not following it. Secularism is not only the tradition of the country, it is in the blood of our country even before when the religions of Islam and Christianity were born. Before that also, we were following true secularism in our country. So, if you want to unnecessarily say that the present Government is not following secularism, then it is not correct.

(Contd. by YSR/2T)

YSR-AKG/6.15/2T

SHRI LA. GANESAN (CONTD.): As far as linking of the Cauvery is concerned, there are so many problems. The case is in the court. I don't want to go into the details. I request the Government to expedite the process of implementation of linking of rivers. The idea first came during the tenure of hon. Atal Bihari Vajpayee. Hon. Suresh Prabhu was there to implement the Scheme. At that time, I studied the report. I am happy to note that the Mahanadi has already been linked with the

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Godavari and the Godavari has already been linked with the Krishna. Only the remaining thing is that the Krishna should be linked with the Tamil Nadu river. I request you to expedite the process. That will, once and for all, solve all the problems. And hon. Minister Ananthkumar will happily visit Tamil Nadu later. The process of interlinking of rivers should be expedited. That is my point.

I thank the Central Government for considering a museum for Adivasis in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has been selected for Adivasi Swatantrata Sangram Museum. For that, I want to thank the Central Government on behalf of Madhya Pradesh.

Hon. President has mentioned about Kumbh Mela. It is a matter of pride for us that Kumbh Mela is included in the list of Intangible Cultural Heritage of Humanity. I am very happy about it. I just want to remind that equivalent to Kumbh Mela, there is one mela that is going to be there in Tirunelveli. यह तिरुनेलवेली मेला होने वाला है। मैं अभी से केन्द्र सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि इसके लिए केन्द्र सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जानी है, उसको अभी से शुरू किया जाना चाहिए। इस समय मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ।

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Many hon. Members mentioned about NEET and the Leader of the AIADMK spoke about the Resolution passed in the Assembly. I don't want to go into the details and merits of that particular case. I don't want to discuss it.

MR. CHAIRMAN: Ganesanji, you have to conclude.

SHRI LA. GANESAN: Whatever decision the Central Government wants to take, let them take it after examining all the aspects. But the result should be announced early, because till last minute, the students were thinking whether NEET would be there or not. That is why suicide took place. In another case, a *mahila* committed suicide thinking NEET would not be conducted. इधर भी suicide होती है, उधर भी suicide होती है। So, pros and cons are there.

अंत में एक विषय के बारे में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। कल हमारे एक माननीय मेम्बर ने ऑनरेबल प्रधान मंत्री के बारे में एक बात कही। वह एक शेर के नाते है। लेकिन उन्होंने गलत उदाहरण दिया है। प्रधान मंत्री शेर हैं, वास्तव में शेर हैं। There is no doubt about it. वे सिंह हैं, लेकिन सिंह का एक और अच्छा उदाहरण, ठीक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने गलत उदाहरण दिया है। इसलिए एक अच्छा उदाहरण देकर मैं अपना भाषण समाप्त करूँगा। वह यह है कि नरेन्द्र मोदी जी गुजरात में लीडर थे। जनता ने

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

उनको 'जन नेता' जैसा माना, बाकी प्रदेशों में यह news spread हो गई। फिर पूरा भारत नरेन्द्र मोदी जी को नेता मानने के लिए तैयार था। बाद में पार्टी ने उनको recognize किया कि ये हैं हमारे प्रधानमंत्री candidate. प्रधान मंत्री बनने के बाद पूरा देश उनको 'जन नेता' जैसा मानता है। आज कल वे 'विश्व नेता' बन रहे हैं। यह किसी और के कारण नहीं है। वे media- developed leader नहीं हैं, media-projected leader नहीं हैं। वे स्वयं सक्षम हैं। सर, उन्होंने तीन लाइनें कह कर समाप्त किया था, मैं भी तीन लाइनें कह कर समाप्त करूँगा।

MR. CHAIRMAN: Don't point your finger like that.

SHRI LA. GANESAN: He is not there.

MR. CHAIRMAN: Even if he is not there. ...(Interruptions)...

SHRI LA. GANESAN: I showed my hand to make other Members understand who that gentleman is.

MR. CHAIRMAN: Don't show it.

श्री ला. गणेशन : मैं तीन लाइनें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। यह श्लोक है।

"नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने ।

विक्रमार्जितसत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता॥"

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

This *shloka*, the *shubhashitam* applies to our hon. Prime Minister. धन्यवाद। (समाप्त)

(2यू/बीएचएस पर आगे)

-YSR/BHS-SCH/2U/6.20

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Rajani Patil, not present. Shri Sanjay Singh, not present. Shri Anand Sharma, not present. Shri Abdul Wahab, not present. Dr. K. Keshava Rao, not present. ... (Interruptions)... No comments, please. Shri Satish Chandra Misra, not present. He has given a letter today only. Shri C.M. Ramesh.

SHRI C.M. RAMESH (TELANGANA): Sir, as we were having the discussion, just now, one Member from YSRC Party mentioned that this Budget will go to the Cabinet and a Telugu Desam Member is there in that Cabinet. If Andhra Pradesh is not satisfied, he should resign. Generally, the Budget will come out five minutes or ten minutes before, and he is commenting that Shri Ashok Gajapathi Raju should resign. What is Shri Ashok Gajapathi Raju's credibility? What is his credibility?

* He is talking about Shri Ashok Gajapathi Raju.

*Expunged as ordered by the Chair.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MR. CHAIRMAN: Do not become personal.

SHRI C.M. RAMESH: He demanded the resignation of Shri Ashok Gajapathi Raju. That is a political speech. He should not have done that here. It should not go into the record, Sir. It has to be expunged. That is my request and you see Shri Ashok Gajapathi Raju's credibility and Shri Vijayasai Reddy's credibility. * That is the reason recently the Supreme Court has given an order that whatever the cases of MPs and MLAs, these should be taken up by fast track court in one year. I also raised in this same House that because of such people, these things are done. He is discussing and we are reasoning, Sir.

MR. CHAIRMAN: You come to the President's Address, please.

SHRI C.M. RAMESH: That is my speech. Thank you.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Okay, now, messages from Lok Sabha. Secretary-General.

*Expunged as ordered by the Chair.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

- (I) RE. NOMINATION OF SEVEN MEMBERS TO COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS**
- (II) RE. NOMINATION OF SEVEN MEMBERS TO COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS**
- (III) RE. NOMINATION OF TEN MEMBERS TO COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES**
- (IV) RE. NOMINATION OF TWO MEMBERS TO JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

“I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 6th February, 2018, adopted the following motion: -

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019 and do

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so nominated, may be communicated to this House."

(II)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 6th February, 2018, adopted the following motion: -

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so nominated, may be communicated to this House."

(III)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 6th February, 2018, adopted the following motion: -

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so nominated, may be communicated to this House."

(IV)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 6th February, 2018, adopted the following motion: -

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect two Members of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote; to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancies caused by the disqualification of Shri Sharad Yadav w.e.f. 4th December, 2017 and to be caused on the retirement of Shri C.P. Narayanan w.e.f. 1st July, 2018 respectively from Rajya Sabha and do

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

communicate to this House the name of the members so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the name of the member of Rajya Sa1bha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Now, Special Mentions. Dr. V. Maitreyan.

(Followed by RL/2W)

-BHS/RL-RPM/6.25/2W

SPECIAL MENTIONS**DEMAND FOR SETTING UP HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED
(H.A.L.) FACILITY FOR MANUFACTURING LIGHT COMBAT
AIRCRAFT AT SALEM IN TAMIL NADU**

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, I wish to appeal to the Government to set up Hindustan Aeronautics Limited facility at Salem in Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu is in the process of coming out with an exclusive aerospace and defence policy with an objective of achieving 30 per cent share of the sector in India and creating high-end employment opportunities for 1 lakh

persons in Tamil Nadu.

The development of Chennai Aerospace Park at Sriperumbudur is one such initiative. This park is being set up in 250 acres in the first phase, which is expandable to 500 acres in the next phase and will house at least 50 aerospace or Defence companies forming a strong base for supporting large Original Equipment Manufacturing companies. More than 120 aerospace components manufacturing companies and more than 700 suppliers to our various Defence PSUs are operating in Tamil Nadu.

Salem is centrally located and has a large Land Bank. Salem region consisting of Namakkal and other districts of Dharmapuri and Krishnagiri, is emerging as the centre of professional education in Tamil Nadu. The city, long renowned for its cotton and silk hand-loom weaving, has developed as a large-scale industrial centre, with electrical and chemical factories and tool workshops. Due to its geographical location, Salem has emerged as a major regional transportation hub. Salem will be a preferred destination for aviation professionals too. In view of the ideal conditions, I appeal to the

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Government to set up Hindustan Aeronautics Limited (H.A.L.) facility for manufacturing Light Combat Aircraft in Salem. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूँ।

(Ends)

DEMAND FOR TAKING STEPS FOR EXPEDITIOUS RELEASE OF FUNDS UNDER CENTRALLY AIDED SCHEMES TO STATE OF TAMIL NADU

SHRI R. VAITHILINGAM (TAMIL NADU): Hon. Chairman, Sir, I would like to urge upon the Government to release various funds for Centrally aided schemes due to Tamil Nadu. The Tamil Nadu Education Department has not received Rs. 4,474 crore from the Centre under various schemes in the last few years. Many education schemes,

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

including post-matric scholarship for SC/ST students had suffered as the State was denied Central funds on the ground of exhausting the budgetary allocations. A sum of Rs. 1,547 crore has been pending towards the post-matric scholarship scheme for Scheduled Castes and Rs. 27 crore for Scheduled Tribes for over a year. The annual allocation is grossly inadequate. I request that this amount may at least be doubled this year.

The Union Government has to pay arrears of Rs 1,312 crore for the *Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)*, the 'Education for All' scheme to Tamil Nadu. Sarva Shiksha Abhiyan aims at providing basic education to children up to the age of 14 years and any delay in the release of funds will hit basic education in spite of Tamil Nadu Government's best efforts.

Under the *Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)* Scheme, which is implemented to provide secondary grade education, an amount of Rs. 1,588 crore is due to be given to the State. Funds under the SSA and RMSA schemes have not been allotted to the State though these projects have been approved by the Project Approval

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Board. As education is pivotal to the task of nation building, I appeal to the Government to release all the funds due for Tamil Nadu without delay. Thank you, Sir. (Ends)

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member. (Ends)

MR. CHAIRMAN: Shri P.L. Punia; not present. Shrimati Wansuk Syiem; not present. Shri Vishambhar Prasad Nishad; not present. Now, Shri Ram Nath Thakur.

(FOLLOWED BY DC/2X)

-RL/DC-PSV/2X/6.30

DEMAND FOR REMOVING ANOMALIES EXISTING IN VARIOUS PENSION SCHEMES LAUNCHED IN COUNTRY

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): सभापति महोदय, सरकार समाज के विभिन्न तबकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएँ चलाती है। इन पेंशन योजनाओं में आर्थिक लाभ बहुत अधिक नहीं होता है, फिर भी जो कुछ थोड़ी-बहुत आर्थिक सहायता मिलती है, उससे पेंशनधारकों की दैनिक अनिवार्यता का खर्च चलता है, लेकिन उसमें भी अड़चन

आ रही है। बिहार में वृद्धा पेंशन के पात्र व्यक्तियों की संख्या को लगभग ऑनलाइन किया जा चुका है, जो लगभग 43 लाख से कुछ अधिक है। केन्द्र सरकार इनमें से केवल 29 लाख लोगों को ही पेंशन देना चाहती है। तर्क यह दिया जा रहा है कि सीमा तय कर दी गयी है। आखिर किस आधार पर कुछ लोगों को पेंशन दी जाएगी और कुछ को नहीं?

सरकार बीपीएल परिवार की विधवाओं को पेंशन देती है, जिनकी उम्र 22, 30 या 35 साल है। फिर किस आधार पर उन्हें वंचित रखा जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है? क्या उन्हें इस बुनियादी सामाजिक सुरक्षा-लाभ से वंचित रखना उचित होगा? दिव्यांगों के लिए भी योजना में विसंगति है। सरकार को नवजात दिव्यांगों के लिए भी पेंशन का प्रबन्ध करना चाहिए, जिनकी अपंगता 40 प्रतिशत से ऊपर है।

मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि इन पेंशन योजनाओं में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए तथा इनका दायरा बढ़ाया जाए, ताकि सभी पात्र लोगों को इनका वांछित लाभ मिल सके।

(समाप्त)

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करती हूँ।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूँ।

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

श्री हरिवंश (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Names of all the four Members, who are associating, may be added. Members from Bihar are associating themselves with it. सदस्यगण, आपने देखा होगा कि जब शान्ति रहती है, तो कितने आराम से, कितनी अच्छी तरह से लोग बोल पाते हैं। कल आपने देखा, some Members were speaking in three-four languages also. ...(Interruptions)... No; it is not a question of position or opposition. It is a question of position of the House. If the House is functioning effectively, then, everybody will have an opportunity and I have called the names of other Members also. The Parliamentary Affairs Minister had said that the other House is functioning and they are likely to sit till late in the night because they want to discuss people's issues. I wish that the hon. Members could have utilized this opportunity also to have an in-depth discussion on issues concerning their States, issues concerning the nation.

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2018

Now, I adjourn the House to meet at 11.00 a.m. on Wednesday,
7th February, 2018.

**The House then adjourned at thirty-two minutes past
six of the clock till eleven of the clock on
Wednesday, the 7th February, 2018.**